[2019] 17 एस. सी. आर. 661

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वी.

एम/एस। विशाखा उद्योग

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1987)

10 दिसंबर, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-हस्तक्षेप का दायरा-एस. एस. के तहत जनवरी, 2009 में पहली प्रतिवादी कंपनी द्वारा शुरू की गई शिकायत। 120 बी, 500 और 501 आर/डब्ल्यू एस। 34 आई. पी. सी. और यह एक ऐसे अपराध से संबंधित है जो 31.07.2008 के बाद से कायम रहा-शिकायतकर्ता का मामला यह था कि यह सीमेंट शीट के व्यवसाय में लगा हुआ था-पहला आरोपी अपीलार्थी द्वारा आयोजित एक समूह का समन्वयक था जिसने कथित रूप से एक लेख प्रकाशित किया था। शिकायतकर्ता को बदनाम करना-मजिस्ट्रेट अपीलार्थी द्वारा समन आदेश-दूसरे अभियुक्त ने एस के तहत याचिका दायर की। 482 समन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए-उच्च न्यायालय ने माना कि एस। 79 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ने नेटवर्क सेवा प्रदाता को दायित्व से केवल तभी छूट दी जब यह साबित हो कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था और यह कि

तथ्य का प्रश्न होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा एस में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 482 याचिका-उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मध्यस्थ उस स्थिति में छूट का दावा नहीं कर सकता है जब वह आपत्तिजनक सामग्री या गैरकानूनी गतिविधि तक पहुंच को तेजी से हटाने या अक्षम करने में विफल रहता है, यहां तक कि इसकी वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के बाद भी और इस मामले में

अपीलार्थी ने सामग्री को अवरुद्ध करने या आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, शिकायतकर्ता द्वारा उस प्रभाव के लिए जारी किए गए नोटिस के बावजूद, अपीलार्थी का अधिकार नहीं था एस के तहत छूट। 79 अधिनियम के प्रतिस्थापन से पहले, या। 79 अधिनियम के प्रतिस्थापन के बाद, जो 27.10.2009 से प्रभावी हुआ, पीड़ित अपीलार्थी ने तत्काल अपील दायर की-आयोजितः इस बारे में कि क्या अपीलार्थी को आपत्तिजनक पदों को हटाने के अनुरोध का पालन नहीं करने में उचित ठहराया गया था, इसमें यह सवाल शामिल है कि क्या अपीलार्थी मध्यस्थ था, जिसकी अनुमति नहीं है।

एस के तहत कार्यवाही। 482 – यह प्रश्न कि क्या गूगल एल. एल. सी. की सहायक कंपनी होने के नाते, अपीलकर्ता एक स्वतंत्र निकाय है जिसे दायित्व के साथ नहीं लिया जाना है, एस में नहीं जाना चाहिए। 482 याचिका

यह भी कि क्या मूल कंपनी के लिए शिकायतकर्ता को यू. आर. एल. प्रदान करने की आवश्यकता का औचित्य है ताकि अपमानजनक पद की पहचान की जा सकती है और उससे निपटा जा सकता है और उसे अपमानित किया जा सकता है

क्या यह पद को हटा सकता है, यह फिर से एक मामला है, जिसे एस के तहत कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है। 482 - मजिस्ट्रेट शिकायत के साथ आगे बढ़ेंगे-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000। 79 दंड संहिता, 1860 एस. एस. 499 / 500 .

दंड संहिता, 1860: एसएस। 499 और मानहानि का 450 कानून

चर्चा की।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. न्यायनिर्णयक सदस्यसभ

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय

1. जहाँ तक मानहानि के अपराध का संबंध है, यहाँ तक कि

कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी पर प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है। उसे निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण। [पैरा 43] [685-डी-ई]

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। भजन लाल और अन्य (1992) पूरक। एससीसी 335: [1991] 1 पूरक। एस. सी. आर. 387 संदर्भित है।
2. क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79,

2000 , जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले था, एक मध्यस्थ को एक ढाल प्रदान करेगा।

2.1 धारा 79, इसके प्रतिस्थापन से पहले, छूट दी गई

नेटवर्क सेवा प्रदाता, जिसे एक मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, अधिनियम, नियमों या बनाए गए विनियमों के तहत दायित्व से उसके तहत किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के संबंध में सेवा प्रदाता ने प्रदान कियाः यह साबित करता है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था और सेवा प्रदाता यह साबित करता है कि उसने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था या गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग

उल्लंघन। इस प्रावधान को अधिनियम की धारा 79 के बाद के अवतार के साथ विपरीत किया जा सकता है जो 27.10.2009 से प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप है। धारा 79 की उप-धारा (1), स्पष्ट शब्दों में, एक गैर-अबाधित खंड के माध्यम से घोषित करती है कि किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जो लागू है, हालांकि उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन है, एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके द्वारा होस्ट किया गया है। [पारस 59,61] [691 ई-एच; 692-ए]

2.2 धारा 79 के प्रतिस्थापन से पहले इसका दायरा किसी अपराध के संबंध में दायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान करने तक सीमित था।

अधिनियम या नियमों या विनियमों के तहत तीसरे पक्ष की कार्रवाई या डेटा उपलब्ध कराया गया और यह आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत शिकायत शुरू करने या मुकदमा चलाने पर रोक नहीं थी। शिकायत अधिनियम की धारा 79 के प्रतिस्थापन से बहुत पहले की अवधि से संबंधित है, जो अंततः केवल 27.10.2009 से प्रभावी थी। यह मानते हुए कि अपराध या उल्लंघन आई. पी. सी. की धारा 500 से भी संबंधित हो सकता है, तब भी, प्रावधानों द्वारा दिए गए संरक्षण के लिए, जैसा कि यह उस समय था जब अपीलार्थी के खिलाफ कथित अपराध कथित रूप से किया गया था, आवेदन करने के लिए, अपीलार्थी पर यह साबित करना अनिवार्य हो जाएगा कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने इस तरह के अपराध या उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे। हालाँकि, यह निस्संदेह सच है कि मध्यस्थ को दिए गए संरक्षण का दायरा धारा 79 के प्रतिस्थापित प्रावधानों के लागू होने के साथ उल्लेखनीय रूप से विस्तारित हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो इसके तहत संलग्न शर्तों के अधीन है। [पारस 63-64] [692-B-D-E-H; 693-A-C]

3. क्या यह न्यायालय इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए बाध्य है कि अपीलार्थी एक मध्यस्थ है या यह गूगल एल. एल. सी. है जो मध्यस्थ है।

यह सच है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी ने कथित रूप से

यह तर्क कि वेबसाइट अपीलार्थी की मूल कंपनी गूगल इंक द्वारा दी जाने वाली सेवा है और यह कि सेवाएँ मूल कंपनी द्वारा सीधे उपयोगकर्ताओं को प्रदान किए जाते हैं। शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी ने अदालत द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया कि कौन सी गतिविधियाँ [2019] 17 एस. सी. आर.

नेटवर्क संबंधित उत्पाद या सेवाएँ और अनुप्रयोग। यह शिकायतकर्ता का मामला है कि वास्तव में गूगल इकोनॉमिक एंटिटी के पूरे संचालन, उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से मुफ्त में डिजिटल स्थान प्रदान किया जाता है, लेकिन विचार के रूप में उनके व्यक्तिगत डेटा को अलग करने के लिए बनाया जाता है। अपीलार्थी की जिम्मेदारी होगी यदि वह इस तथ्य को दूर करना चाहता है ताकि यह दिखाया जा सके कि अपीलार्थी की गूगल की गतिविधियों में कोई भूमिका नहीं है। इस बारे में कि क्या यह गूगल आई. एन. सी. है, जो गूगल समूहों के लिए जिम्मेदार है और अपीलकर्ता नहीं है, यह तर्क दिया जाता है शिकायतकर्ता, सबूत का मामला है। यह इस न्यायालय के समक्ष कागजी पुस्तकों के साथ दायर दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय को विशेष रूप से न्यायालय के रुख के आलोक में आमंत्रित किया जा सके।

शिकायतकर्ता को यह अभिनिर्धारित करके अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए कि यह मूल कंपनी है जो वास्तविक मध्यस्थ है न कि अपीलार्थी। कार्यवाही उस स्तर पर है जहाँ उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील में अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया है। हालाँकि, यह आम मामला है कि दोनों पक्षों ने समीक्षा याचिकाएँ दायर की हैं। दूसरे शब्दों में, मामला अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। [पारस 80,81,83] [702-एच; 703-ए-ई-एच; 704 ए-सी-डी]

राजीव थापर और अन्य बनाम। मदन लाल कपूर (2013) 3 एससीसी 330: [2013] 3 एस. सी. आर. 52-संदर्भित।

4. एस्सुमिंग एपेलेंट एक मध्यवर्ती हैः ए.

मानहानि के कानून का संक्षिप्त अवलोकन

4.1 धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध के सार में या तो बोले गए या पढ़ने के इरादे वाले शब्द शामिल होंगे या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाने या प्रकाशित करने के इरादे से या यह मानने का कारण होगा कि ऐसा आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, अपवादों और स्पष्टीकरणों के अधीन जो मुख्य का पालन करते हैं। प्रावधान। स्पष्टीकरण II घोषणा करता है कि किसी कंपनी या किसी संघ या व्यक्तियों के संग्रह के संबंध में आरोप लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है। [पैरा 98] [710-ए

बी] गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वी। एम/एस। विशाखा उद्योग

4.2 यह निस्संदेह सच है कि पहला अपवाद छूट देता है।

आपराधिक दायित्व से, ऐसे बयान जो सही हैं और जो सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक हैं। यह उचित, उचित या नहीं होगा।

अदालत के लिए अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करना कानूनी है कि विचाराधीन पद मानहानि का गठन नहीं करता है। यही कारण है कि इस मामले के तथ्यों में, विशेष रूप से आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत दायर याचिका में, इस तरह की कवायद सीमा से बाहर होगी। इस बारे में कि क्या यह मानहानि का गठन करती है और क्या यह किसी भी स्पष्टीकरण/अपवाद में आती है, सभी मामले अदालत द्वारा तय किए जाएंगे। [पारस 99,101] [710-डी ई; 711-डी-ई]

5. आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत, कानून देने वाले ने किसी भी आरोप को बनाने या प्रकाशित करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं।

इरादा या ज्ञान या विश्वास करने का कारण, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है, कि आरोप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, जो मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व हैं। [पैरा 104] [713-बी]

मोहम्मद. अब्दुल्ला खान बनाम। प्रकाश के. (2018) 1 एससीसी

615 : [2017] 12 एस. सी. आर. 9-पर निर्भर।

6. आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत मानहानि का आपराधिक अपराध तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति मानहानि करता है। आरोप जिसमें उस व्यक्ति को व्यक्त किया जा रहा आरोप शामिल होगा जिसके बारे में आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर, एक प्रकाशन तब किया जाता है जब आरोप को उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है जिनके बारे में मानहानिकारक आरोप लगाया जाता है। एक व्यक्ति, जो मानहानिकारक आरोप लगाता है, आरोप को प्रकाशित भी कर सकता है और इस प्रकार मानहानिकारक आरोप का निर्माता और प्रकाशक हो सकता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है, हालांकि उसने बयान नहीं दिया होगा लेकिन वह इसे प्रकाशित करता है। [पैरा 107] [715-सी-डी]

एम. सी. वर्गीज बनाम टी. जे. पूनान एंड अदर (1969) 1

एस. सी. सी. 37 [1969] 2 एस. सी. आर. 692-संदर्भित।

गूगल स्पेन एस. एल., गूगल इंक. बनाम। एजेन्सिया एस्पानोला डी प्रोटेक्सियन डी डेटोस (ए. ई. पी. डी.), मारियो कोस्टेजा गोंजालेज ई. सी. एल. आई.: यूरोपीय संघः सीः 2014 : 317 ; बायर्न वी। डीन (1937) 1 के. बी. 818; पायम तमीज बनाम। गूगल इंक. (2013) ईडब्ल्यूसीए सीबी 68; बंट बनाम। टिली (2006) ईडब्ल्यूएचसी 407; गॉडफ्रे बनाम। डेमन इंटरनेट लिमिटेड (2001) क्यू. बी. 201-संदर्भित।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. धारा 79 के अधीनता का प्रभाव

द एक्ट

अधिनियम की धारा 79 को 27.10.2009 से प्रतिस्थापित किया गया। इस मामले में, शिकायत स्वयं दिनांकित है।

21.01.2009 . मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी को समन जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

09.09.2009 . यदि ऐसा है, तो न केवल उस समय शिकायत दर्ज की गई थी जब धारा 79, अपने पूर्व अवतार में, वर्तमान प्रावधान के लागू होने से पहले लागू थी, इसके तहत संज्ञान भी लिया गया था। यदि ऐसा है, तो दायित्व से छूट का प्रश्न अधिनियम की धारा 79 के तहत तय किया जा सकता है, न कि प्रतिस्थापित प्रावधान के तहत। [पारस 133-135] [730

एच; 731-ई-एफ; 733-जी-एच]

8. जैसा है वैसा कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है

केवल एक सहायक

यह प्रश्न कि क्या गूगल एल. एल. सी. की सहायक होने के नाते, अपीलकर्ता एक स्वतंत्र निकाय है जिसे दायित्व के साथ नहीं लिया जाना है, Cr.PC की धारा 482 में नहीं लिया जाना है।

[पैरा 136] [733-बी]

9. विवादित फैसले में, न्यायाधीश ने उन नोटिसों को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो शिकायत के अनुसार जारी किए गए थे, जिसमें अपीलार्थी से आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का आह्वान किया गया था। यह पाया गया है कि अपीलार्थी ने गैरकानूनी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अपनी छोटी उंगली नहीं हिलाई। यह खोज दो खामियों से ग्रस्त है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया है कि धारा 79, जैसा कि वह मूल रूप से थी

अधिनियमित, इसके अलावा अन्य कानूनों के साथ अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था

अधिनियम। धारा 79, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अन्य कानूनों के प्रभाव से संबंधित नहीं थी। संक्षेप में, चूंकि मानहानि आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत एक अपराध है, इसलिए धारा 79, जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले थी, का अपीलार्थी को उक्त प्रावधान के तहत दायित्व से मुक्त करने से कोई लेना-देना नहीं था। दूसरा, एक मामला है अपीलार्थी कि नोटिस की प्राप्ति पर, अपीलार्थी ने एक संकेत के रूप में अपनी शिकायत अपनी मूल कंपनी को अग्रेषित की, जिसने मांग की

06.01.2009 पर विवरण। शिकायत 21.01.2009 पर दर्ज की गई। इसलिए, उच्च न्यायालय ने जिस तरह से निष्कर्ष निकाला, वह उचित नहीं था। यहां तक कि धारा 79, जैसा कि 27.10.2009 के प्रभाव से प्रतिस्थापित किया गया है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v के लाभ से इनकार करती है।

एम/एस। विशाखा उद्योग

उस मामले में छूट जहां गैर-कानूनी कार्य करने में मध्यस्थ या उकसाने या सहायता करने या प्रेरित करने या अन्यथा के बीच साजिश है। पुनः, शिकायत में मामला यह है कि अभियुक्त के बीच मिलीभगत थी। यह Cr.P.C की धारा 482 के तहत आगे बढ़ने का मामला नहीं है। [पारस 137-139] [733-सी-डी; 734-ए-एफ]

श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1:

[2015] 5 एस. सी. आर. 963-- पर निर्भर था।

10. प्रकाशनः यदि मानहानिकारक विषय प्रकाशित किया जाता है कि इसे किसने प्रकाशित किया, तो यह तथ्य का प्रश्न है। प्रकाशन में शामिल हैं

मानहानिकारक बात को बदनाम किए गए व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के ज्ञान में लाना। क्या वहाँ है प्रकाशन में वास्तव में यह सवाल पूछना शामिल है कि क्या इस तरह के किसी भी मामले को हटाने की शक्ति और अधिकार था। यदि इस तरह की शक्ति के बावजूद, और मामले को हटाने की क्षमता के बावजूद, यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह प्रकाशन के बराबर होगा। उक्त सिद्धांत, यह निर्धारित करने के लिए भी अच्छा होगा कि क्या आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत प्रकाशन है। आगे

11. आई. पी. सी. की धारा 499 में जिसे अपराध घोषित किया गया है, वह ऐसा मामला बनाना या प्रकाशित करना है जो बदनाम करता है, जैसा कि वर्णित है। खंड में। निर्माण या प्रकाशन के साथ अपेक्षित आशय या ज्ञान भी होना चाहिए।

उस अधिनियम को अपराध बनाने के लिए धारा में उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से दिनांक 09.12.2008 पर एक नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसमें अपीलार्थी से, अन्य बातों के साथ-साथ, विवादास्पद पोस्ट को हटाने का आह्वान किया गया था। यह अपीलार्थी का मामला है कि चूंकि उसने सेवाओं को नियंत्रित नहीं किया था और चूंकि नोटिस में इसकी गतिविधियों का संबंध नहीं था, इसलिए अपीलार्थी ने अपनी प्रतिक्रिया के लिए अपनी मूल कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया कि मूल कंपनी, [2019] 17 एस. सी. आर. में।

बारी, 06.01.2009 पर शिकायतकर्ता को जवाब दिया। चूंकि, शिकायतकर्ता द्वारा जारी किए गए नोटिस में उस स्थान और सेवाओं को नहीं दर्शाया गया था जो कथित रूप से मानहानिकारक वस्तुओं को होस्ट करते हैं, इसलिए शिकायतकर्ता को सटीक विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था। इस बारे में कि क्या मूल कंपनी के लिए शिकायतकर्ता को यू. आर. एल. प्रदान करने की आवश्यकता का औचित्य है ताकि अपमानजनक पोस्ट की पहचान की जा सके और उससे निपटा जा सके और इसे अस्वीकार किया जा सके कि क्या वह पोस्ट को हटा सकता है, यह फिर से एक मामला है, जिसे Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में जाना संभव नहीं हो सकता है।

[पारस 146,147,149] [737-बी-डी; 738-बी-सी]

एच. एम. टी. घड़ियाँ लिमिटेड बनाम एम. ए. आबिदा एंड अदर (2015) 11 एस. सी. सी. 776: [2015] 3 एससीआर 719; शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम। सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 2 एस. सी. सी. 18 [2016] 8 एस. सी. आर. 1015; अभिजीत पवार बनाम।

हेमंत मधुखर निंबालकर और एक अन्य (2017) 3

एससीसी 528 [2016] 9 एससीआर 475; अनवर पी. वी. वी. वी. पी. के. बशीर और अन्य (2014) 10 एससीसी 473 [2014] 11 एससीआर 399; शिवाजी सिंह बनाम। नागेंद्र तिवारी और

अन्य (2010) 7 एस. सी. सी. 578 [2010] 7 एस. सी. आर. 667; सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य बनाम। बंगाल और अन्य क्रिकेट संघ (1995) 2 एस. सी. सी. 161: [1995] 1 एस. सी. आर. 1036; गंभीरसिंह आर. डेकरे बनाम। फालगुनभाई

चिमाभाई पटेल और एक अन्य (2013) 3 एससीसी 697:

एससीसी 478: [1994] 5 पूरक। एससीआर 310; यू. पी. राज्य और अन्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी और अन्य (1988) 4 एस. सी. सी. 59: [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 627; जेफरी जे. डायरमियर और एक अन्य बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य (2010) 6 एस. सी. सी. 243: [2010] 7 एससीआर 128; सोम मित्तल बनाम। सरकार. कर्नाटक (2008) 3 एस. सी. सी. 753: [2008] 2 एस. सी. आर. 323; राजस्थान राज्य बनाम। मंगीलाल पिंडवाल (1996) 5 एस. सी. सी. 60 [1996] 3 पूरक। एससीआर 98

- संदर्भित किया गया।

रिचर्डसन बनाम। फेसबुक (2015) ईडब्ल्यूएचसी 3154 (क्यूबी) -

संदर्भित किया गया।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. एम/एस। विशाखा उद्योग

मामला कानून संदर्भ

[2013] 3 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[2015] 3 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

[2016] 8 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[2015] 5 एससीआर 963

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[2016] 9 एससीआर 475

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[2014] 11 एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[2010] 7 एससीआर 667

संदर्भित किया गया है

पैरा

23

[2015] 5 एससीआर 963

संदर्भित किया गया है

पैरा

27

[1995] 1 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा

29

[2013] 4 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2016] 8 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[1994] 5 पूरक। एससीआर 310

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

[1988] 1 पूरक। एससीआर 627

संदर्भित किया गया है

पैरा

40

[1991] 1 पूरक। एससीआर 387

संदर्भित किया गया है

पैरा

41

[2010] 7 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

[2008] 2 एससीआर 323

संदर्भित किया गया है

पैरा

42

[2013] 3 एससीआर 52

संदर्भित किया गया है

पैरा

72

[2015] 3 एससीआर 719

संदर्भित किया गया है

पैरा

72

[2014] 11 एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

पैरा

81

[2016] 8 एससीआर 1015

संदर्भित किया गया है

पैरा

85

[2017] 12 एस. सी. आर 9

उस पर भरोसा करें

पैरा

104

[1969] 2 एससीआर 692

पैरा

105

संदर्भित किया गया है

[1996] 3 पूरक। एससीआर 98

संदर्भित किया गया है

पैरा

133

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

2014 का सं. 1987।

एच के 19.04.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

अपराध में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का न्यायिक न्यायालय

2009 की याचिका संख्या 7207 [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री प्रियदर्शी बनर्जी, प्रतिभा सिंह खरोला, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, निशांत राव, सारंश

जैन, माधवन शर्मा, दिव्यांग गोबिंद चंडीरमानी, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता। श्रीधर

पोटाराजू, सुश्री शिवानी टी., सुश्री सिंदूरा वी. एन. जी., सुश्री श्वेता परिहार, राहुल जी. तनवानी, वी. सी. शुक्ला, सुश्री निशा बागची, सुश्री विमला सिन्हा, रजत नायर, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. अपीलार्थी प्रथम प्रत्यर्थी (जिसके बाद 'शिकायतकर्ता' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में दूसरा अभियुक्त है। संक्षेप में)। अपीलार्थी ने धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की

दंड प्रक्रिया, 1973 (इसके बाद संक्षेप में 'द आई. डी. 1' के रूप में संदर्भित), मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को उस शिकायत के अनुसार समन करने के लिए पारित आदेश को रद्द करने की मांग करती है जो धाराओं को लागू करने का प्रयास करती है।

120 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित बी, 500 और 501 (इसके बाद संक्षेप में 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित)।

शिकायत

2. शिकायतकर्ता एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो पूरे भारत में सात विनिर्माण संयंत्रों और पच्चीस से अधिक विपणन कार्यालयों के साथ एस्बेस्टस सीमेंट शीट के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। यह आगे, अन्य बातों के साथ कहा गया है कि उत्पाद है

अपने सभी संयंत्रों में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निर्मित। पहला आरोपी कथित तौर पर अपीलार्थी द्वारा आयोजित एक समूह, बान एस्बेस्टस इंडिया का समन्वयक है। उक्त समूह में लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। 21.11.2008 पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। इसका शीर्षक था "सिस्टम को जहर देनाः हिंदुस्तान टाइम्स "। शिकायत में देश के प्रसिद्ध राजनेताओं को निशाना बनाया गया, जिनका नाम लिया गया था और जिनका कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं था। शिकायतकर्ता 31.07.2008 दिनांकित लेख को देखकर सदमे की गुहार लगाता है शीर्षक दिया "विसाका एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज लाभ कमा रही है"। यह कहा जाता है कि भारत में एस्बेस्टस सीमेंट शीट का निर्माण 70 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। पहले आरोपी ने शिकायतकर्ता को अलग कर दिया, हालांकि एस्बेस्टस सीमेंट उत्पादों का निर्माण करने वाले अन्य समूह भी हैं। प्रासंगिक भाग, जो अपीलार्थी के लिए प्रासंगिक है, पैराग्राफ-11 में निहित हैः

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 11. शिकायतकर्ता सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि

उपरोक्त लेखों में अभियुक्त संख्या 1 का बयान

अभियुक्त संख्या 2 द्वारा होस्ट किया गया समूह घृणा से भरा हुआ है

समाज में सामान्य बुद्धि का मानना होगा कि बयान। वास्तव में उक्त कथन ने प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाई

शिकायतकर्ता। निश्चित पदस्थापन में अभियुक्त का कार्य

साइबर स्पेस में मानहानिकारक लेख, जिनका दौरा किया जाता है असंख्य इंटरनेट सर्फर जिनका पूरे देश में वीडियो उपयोग होता है।

दुनिया किसके दिमाग में शिकायतकर्ता कंपनी को कारण बनाया जा रहा है

इस तरह के अपमानजनक झूठे बयानों के साथ। सेवा प्रदाता जैसे अभियुक्त संख्या 2 ने प्रसार को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है।

बिना लिए दुनिया भर के दर्शकों के लिए अपमानजनक बयान

इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का दुरुपयोग किया, क्योंकि दोनों लेखों में इसके द्वारा होस्ट किए गए समूह को एक विशेष कंपनी की ओर लक्षित किया गया था

जो अभियुक्त सं. 2 की जानकारी में है।

(जोर दिया गया)

3. कार्रवाई के कारण का उल्लेख पैराग्राफ-15 में किया गया है और यह इस प्रकार है

बनाम -

" 15. कार्रवाई का कारणः शिकायतकर्ता के लिए कार्रवाई का कारण

31 जुलाई, 2008 को एक लेख "विसाका एस्बेस्टस" प्रकाशित हुआ।

लाभ कमाने वाले उद्योगों का प्रसार अभियुक्त नं. 1 में

" बान एस्बेस्टस इंडिया "समूह की मेजबानी अभियुक्त नं. 2 और 21 वां

नवंबर 2008 जब दूसरा लेख "सिस्टम को जहर देनाः

हिंदुस्तान टाइम्स "को आरोपी नं. 1 बैंक में

एस्बेस्टस इंडिया "समूह की मेजबानी अभियुक्त नं. 2 और 10.12.2008 पर जब ऐसी वस्तुओं को वापस लेने का नोटिस जारी किया गया था

शिकायतकर्ता और बाद की तारीखों पर।

4. शिकायत के पैराग्राफ-16 में अधिकारिता का संकेत दिया गया है और

डी इस प्रकार हैः

" 16. न्यायनिर्णयः शिकायतकर्ता का निगमित कार्यालय "विसाका टावर्स", 1-8-303/69/3, एस. पी. रोड पर स्थित है।

सिकंदराबाद। चूंकि शिकायतकर्ता का निगमित कार्यालय

कंपनी पी. एस. रामगोपालपेट की सीमा के भीतर स्थित है।

माननीय न्यायालय को इस शिकायत पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र मिला है। "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. शिकायतकर्ता के उप प्रबंधक (कानूनी) ने कहा

मन में। इसके बाद, अपीलार्थी को तलब किया गया। द.

गैर आदेश निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" एक पीड़ित व्यक्ति को निवेदन

(Sec.81 Cr.P.C.)

1363

सिकंदराबाद में 11 वें ए. सी. एम. मजिस्ट्रेट की अदालत में

सी. सी नं. 679/2009

इनके बीचः एम/एस। विसाका इंडस्ट्रीज

..... शिकायतकर्ता

और

श्री गोपाल कृष्ण और अन्य

आरोपित

को,

एम/एस। गूगल इंडिया प्रा. लिमिटेड,

3 तीसरी मंजिल, प्रेस्टीज सिग्मा,

नं. 3, विट्टल माल्या रोड,

बैंगलोर 560001।

जबकि आपकी उपस्थिति शुल्क ओ के लिए आवश्यक जवाब है। यू / आई. पी. सी. आर./डब्ल्यू. 34 का s.500,501 आपको एतद्वारा एपिया के लिए निर्देशित किया जाता है।

माननीय XI A.C.M.M के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा।

जिस दिन 09.09.2009 10.30 AM.

इस दिन की तारीख

सील करें।

एसडी /

मजिस्ट्रेट

6. यह उक्त आदेश है जिसे पहले चुनौती दी गई थी

अदालत।

7. विवादित फैसले से, उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है

पर।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

उच्च न्यायालय के परिणाम

8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79

(इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित), जिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया था, एक नेटवर्क को छूट नहीं दिया गया था। अन्य कानूनों के तहत या विशेष रूप से आई. पी. सी. के तहत अपराधों के लिए दायित्व से सेवा प्रदाता बहुत कम आपराधिक दायित्व है। यह भी पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान नेटवर्क सेवा प्रदाता को केवल यह साबित करने पर दायित्व से छूट देता है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध या उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

उस संबंध में सबूत, अभियुक्त द्वारा प्रमुख सबूत द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक तथ्य का प्रश्न है जिस पर उच्च न्यायालय Cr.PC की धारा 482 के तहत याचिका में विचार नहीं कर सकता है। न्यायालय बाद में अधिनियम की संशोधित धारा 79 को नोटिस करता है जो 27.10.2009 से प्रभावी हुई थी। यह नोट किया गया कि यह केवल उक्त संशोधन के तहत है कि उक्त प्रावधान द्वारा कवर की गई तथ्य स्थिति में अन्य कानूनों के अनुप्रयोग को दायरे से बाहर रखते हुए एक गैर-अवरोधक खंड शामिल किया गया था। संशोधित धारा 79 के तहत, यदि मध्यस्थ किसी साजिश में प्रवेश करता है, तो अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी, मध्यस्थ छूट का दावा नहीं कर सकता है यदि वह तेजी से हटाने या पहुंच को अक्षम करने में विफल रहता है

शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम अभियुक्त की ओर से मानहानिकारक सामग्री के प्रसार और गैरकानूनी गतिविधि के बारे में नोटिस जारी करने के बावजूद आपत्तिजनक सामग्री। इसलिए, यह पाया गया कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 79 के तहत, इसके प्रतिस्थापन से पहले, या अधिनियम की धारा 79 के तहत, इसके प्रतिस्थापन के बाद, जो 27.10.2009 से प्रभावी हुई, किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता था। 10. यह शिकायत जनवरी 2009 में दर्ज की गई थी। यह एक ऐसे अपराध से संबंधित है जो उक्त प्रावधान के संशोधन से बहुत पहले से, यानी आई. डी. 1 के बाद से कायम किया जा रहा था। अंत में यह पाया गया कि एक ऐसी कंपनी के संबंध में किसी भी आपराधिक कानून की कोई छूट नहीं थी जो एक न्यायिक व्यक्ति है और जिसका कोई निकाय नहीं है जिसे दोषी पाए जाने की स्थिति में दंडित या निंदा की जा सके। अपीलार्थीकैं उचित सजा देल जा सकैत छैक यद्यपि शारीरिक सजा नहि देल जा सकैत छैक। कोई योग्यता नहीं पाते हुए, याचिका खारिज कर दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या, शिकायतकर्ता/प्रथम प्रतिवादी-मेसर्स के विद्वान वकील श्री श्रीधर पोटाराजू को सुना। विशाखा इंडस्ट्रीज और सुश्री माधवी दीवान, भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं।

12. श्री साजन पूवय्या तर्क देंगे कि गूगल समूहों पर सेवाएं अपीलार्थी द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, आधार शिकायतकर्ता कि अपीलार्थी मध्यस्थ है, पूरी तरह से गलत है। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में किसी विशिष्ट यू. आर. एल. का संदर्भ नहीं था। यू. आर. एल. का विस्तार अद्वितीय है।

रेफरेन्स लोकेटर जो आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान करने या उसका पता लगाने के लिए वेब पर सामग्री का पता है। इसलिए यह नोटिस अमान्य था। हालाँकि, अपीलार्थी ने एक संकेत के रूप में, अपनी मूल इकाई, यानी गूगल इंक., वर्तमान में गूगल एल. एल. सी. को दिनांकित उक्त सूचना दी। यह गूगल एल. एल. सी. है जो गूगल समूह प्लेटफार्मों का मालिक है। गूगल एल. एल. सी. ने कानूनी नोटिस का जवाब दिया और शिकायतकर्ता से विशिष्ट यू. आर. एल. प्रदान करने का अनुरोध किया। इसका जवाब दिए बिना ही शिकायत दर्ज की गई। यह तर्क दिया जाता है कि शिकायत एक गलत आधार पर आगे बढ़ती है कि अपीलकर्ता गूगल समूहों पर सेवाएं प्रदान करता है और प्रदान करता है। एक और गलत आधार यह है कि मध्यस्थ और होस्टिंग सेवा प्रदाता से अपने मंच पर सामग्री के प्रकाशन की निगरानी और पूर्व-सेंसर करने की उम्मीद की जाती है। त्रुटि का आरोप इस धारणा को रेखांकित करने के लिए लगाया जाता है कि सेवाओं की मेजबानी में यह तथ्य शामिल है कि मध्यस्थ मेजबान को एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री का ज्ञान है। किसी भी सामग्री के लेखक द्वारा एक स्वतंत्र प्रकाशन फिर से लेखक और लेखक के बीच किसी भी मिलीभगत के अभाव को प्रदर्शित करता है।

मध्यवर्ती मेजबान। शिकायतकर्ता के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है कि अपीलार्थी कथित रूप से मानहानिकारक लेखों का लेखक या प्रकाशक है। दूसरी ओर, शिकायत स्वयं इस आधार पर आगे बढ़ती है कि यह पहला अभियुक्त है जो लेखों का लेखक है।

13. अपीलार्थी पक्षकारों के बीच समानांतर दीवानी कार्यवाहियों को निपटाता है। 21.01.2009 पर अपीलार्थी और गूगल एल. एल. सी. को कानूनी नोटिस जारी होने के बाद, पहले आरोपी, गूगल एल. एल. सी. और अपीलार्थी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था।

14. शिकायतकर्ता द्वारा दायर मुकदमा दिनांक 17.02.2014 के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया। शिकायतकर्ता पहले में सफल हुआ

अपील की और अदालत ने 29.01.2016 पर मुकदमे का फैसला सुनाया। अपीलकर्ताओं ने दूसरी अपील को प्राथमिकता दी। अपील को हाई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v द्वारा अनुमति दी गई।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

18.01.2016 पर न्यायालय जिसके द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा खारिज किया गया जो दूसरा प्रतिवादी था। यह इंगित किया गया है कि अपीलार्थी ने इसके खिलाफ प्रकृति में सीमित समीक्षा दायर की है। शिकायतकर्ता ने समीक्षा भी दायर की है।

15. गूगल एल. एल. सी. संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है। गूगल एल. एल. सी. गूगल ग्रुप प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व और संचालन करती है। अपीलार्थी गूगल एल. एल. सी. समूह की सहायक कंपनी है। अपीलार्थी की अपनी अलग कानूनी पहचान है। उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है कि गूगल समूह मंच पर नियंत्रण गूगल एल. एल. सी. का था।

16. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान उन प्राथमिक शर्तों की ओर आकर्षित किया जिन पर गूगल एल. एल. सी. द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

एक उपयोगकर्ता और गूगल एल. एल. सी. के बीच एक समझौते पर विचार किया जाता है। अपीलार्थी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है।

इसका कार्यालय बैंगलोर में है। अपीलार्थी को भारत में गूगल एल. एल. सी. विज्ञापन कार्यक्रम के गैर-विशिष्ट पुनर्विक्रेता के रूप में प्रधान से प्रधान आधार पर नियुक्त किया जाता है। अपीलार्थी कुछ सीमित उत्पादों के लिए व्यवसाय विकास और प्रचार गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है।

गूगल समूह के संबंध में सेवाएँ प्रदान करना या उनका प्रशासन करना। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता गूगल एल. एल. सी. का एजेंट नहीं है और उसे अपने कार्यों में स्वायत्तता प्राप्त है।

17. गूगल समूह के संबंध में सेवा की शर्तें स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि सेवाएं गूगल एल. एल. सी. द्वारा प्रदान की जाती हैं न कि अपीलार्थी द्वारा।

यह तर्क दिया जाता है कि एक निर्विवाद चरित्र के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों या किसी भी निर्विवाद साक्ष्य पर उच्च न्यायालय द्वारा Cr.PC की धारा 482 के तहत किसी मामले का फैसला करने में विचार किया जा सकता है। गूगल समूह की सेवा की शर्तों को ऐसे ही एक दस्तावेज के रूप में दबाया जाता है। राजीव थापर और अन्य बनाम सहित इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है। मदन लाल कपूर 1 और एच. एम. टी. वॉचेस लिमिटेड बनाम। एम. ए. आबिदा और अन्य 2. यह बताया गया है कि इस तरह का न्यायिक नोटिस दीवानी कार्यवाही में लिया गया है। 18. इसके बाद, इसने तर्क दिया कि आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत मानहानि के अपराध के तत्व नहीं बनाए गए हैं। पहला घटक आरोप का प्रकाशन है जो अपीलार्थी के कारण संतुष्ट नहीं हुआ है, बल्कि केवल पहले अभियुक्त के खिलाफ है। एक मध्यस्थ

1 (2013) 3 एससीसी 330

2 (2015) 11 एससीसी 776 [2019] 17 एस. सी. आर.

वह न तो तीसरे पक्ष की सामग्री का प्रकाशक है और न ही उसे किसी सामग्री की जानकारी है जब तक कि उसे किसी उपयुक्त अदालत या सरकारी एजेंसी के आदेश के माध्यम से अधिसूचित नहीं किया जाता है। अधिनियम का कोई प्रावधान लागू नहीं किया गया है। शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम पर भरोसा करना। सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 3 और श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ ने यह तर्क दिया है कि चूंकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, इसलिए शिकायत को दूषित किया जाता है। यह अभी भी आगे तर्क दिया जाता है कि वास्तविक मध्यस्थ के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। , गूगल एलएलसी। यह भी तर्क दिया जाता है कि डिजिटल मंच के संदर्भ में, जहां लाखों पद बनाए जाते हैं, ऐसे मंचों पर किसी भी सामग्री के प्रकाशन में मध्यस्थ द्वारा किसी भी प्रकार के संपादकीय नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जाता है।

19. यह तर्क दिया जाता है कि केवल सामग्री की मेजबानी होगी

ज्ञान की विशेषता के लिए अपर्याप्त, और यदि सामग्री के प्रकाशन के बराबर नहीं है। अपीलार्थी को वास्तविक ज्ञान के साथ किसी मानसिक तत्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। भूमिका निष्क्रिय है। लेखक सामग्री की उत्पत्ति करता है और लेखक प्रवर्तक है न कि मध्यस्थ। जो व्यक्ति सामग्री तक पहुँचता है या फिर से पढ़ता है, वह व्यक्ति नहीं है।

मध्यस्थ लेकिन प्राप्तकर्ता। जब तक सामग्री को मध्यस्थ के वास्तविक ज्ञान में नहीं लाया जाता है, तब तक सामग्री को नीचे ले जाना, मध्यस्थ पर लागू नहीं किया जा सकता है। वास्तविक ज्ञान वह होना चाहिए जो अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त आदेश के माध्यम से दिया जाता है।

सरकारी एजेंसी। मध्यस्थ सामग्री का निजी सेंसर या मध्यस्थ नहीं बन सकता है। अपीलार्थी इस बात पर जोर देना चाहता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत ऑनलाइन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

हैदराबाद, बेंगलुरु और गुरुग्राम में अपने कार्यालय को दर्शाते हुए एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि एसीजेएम, जिसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र सिकंदराबाद तक सीमित है, वह अदालत है जहां शिकायत दर्ज की गई थी। Cr.PC की धारा 202 को मजिस्ट्रेट द्वारा इसके उल्लंघन में देखा गया है। अभिजीत पवार बनाम में निर्णय। हेमंत मधुखर निंबालकर और इस संबंध में समर्थन में अन्य लोगों को सूचीबद्ध किया गया है।

3 (2017) 2 एस. सी. सी. 18 4 (2015) 5 एस. सी. सी. 1 5 (2017) 3 एस. सी. सी. 528 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

21. एक अन्य विवाद यह है कि एक सहायक कंपनी अपनी मूल कंपनी के कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को असंभव कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता की सामग्री

22. अपीलार्थियों के लिए यह खुला नहीं है कि उन्होंने Cr.PC की धारा 482 के तहत शक्तियों का उपयोग किया है। इस मामले की जांच शामिल है

तथ्यों से संबंधित आरोप। यह इंगित किया जाता है कि क्या अपीलार्थी गूगल समूह की मेजबानी कर रहा है जिसमें पहले अभियुक्त ने मानहानिकारक लेख प्रकाशित किए हैं, यह तथ्य का प्रश्न है। यह प्रश्न कि क्या अपीलार्थी मध्यस्थ है या नहीं, तथ्य का प्रश्न है। यह तथ्य का एक और सवाल है कि क्या अपीलार्थी और गूगल एल. एल. सी. का प्रबंधन अलग-अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है या एक ही इकाई द्वारा। प्रत्यर्थी इस तर्क पर विवाद करेगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज निर्विवाद चरित्र के हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के अधिदेश का पालन किए बिना दस्तावेजों पर भरोसा करने की मांग की जाती है। इस संबंध में रिलायंस अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर और अन्य।

23. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पास एक न्यायिक अधिकार होता है

Cr.PC की धारा 202 के तहत प्रक्रिया का सहारा लिए बिना आगे बढ़ने के लिए शिकायतकर्ता की जांच करने पर विवेकाधिकार। अपीलार्थी द्वारा किसी भी पूर्वाग्रह का अनुरोध नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में कोई सबूत पेश किया गया है। इस संबंध में, शिवाजी सिंह बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। नागेंद्र तिवारी और अन्य।

24. गूगल गूगल समूहों को होस्ट करता है। तथ्य का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी उक्त समूह के नियंत्रण में है या यह है

दावा किया गया, इसकी मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित। अतः यह मुद्दा अपीलार्थी की भूमिका और उसके व्यवसाय में उसकी भागीदारी के रूप में सीमित है।

गूगल समूह को मंच प्रदान करना और इसके विपणन के अलावा विज्ञापनों आदि के माध्यम से राजस्व बढ़ाना। यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी को गूगल समूहों में अपनी भूमिका को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थी ने भारत में चल रही गतिविधियों की वास्तविक प्रकृति पर रोक लगा दी है। एक पक्ष को साफ हाथों के साथ अदालत में आना चाहिए। स्वयं संघ का ज्ञापन, प्रथम दृष्टया, दर्शाता है कि उनके मुख्य उद्देश्यों में इंटरनेट से संबंधित परियोजनाएं और/या सेवाएं और अनुप्रयोग प्रदान करना शामिल है। एक आम आर्थिक इकाई है जिसमें उपयोगकर्ता हैं

6 (2014) 10 एस. सी. सी. 473 7 (2010) 7 एससीसी 578 [2019] 17 एस. सी. आर.

प्रदान किया गया डिजिटल स्थान कथित रूप से मुफ़्त है लेकिन उनके साथ भाग लेने के लिए बनाया गया है

विचार के रूप में व्यक्तिगत डेटा। उक्त डेटा का उपयोग विज्ञापन राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल और भौगोलिक स्थिति के रूप में लक्षित किया जाता है। 25. अपीलार्थी की भूमिका तथ्य का प्रश्न है। एक बार जब इसे नोटिस पर डाल दिया जाता है, तो गूगल को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि उसे सामग्री के बारे में पता नहीं है। यदि यह मानहानिकारक के प्रकाशक के रूप में सामग्री को स्थायी बनाने का विकल्प चुनता है

कानून के तहत परिणाम का पालन करना चाहिए। अपीलार्थी बहुत अच्छा खेलता है

विज्ञापन को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका। गूगल एक सक्रिय प्रकाशक है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सामग्री बनाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान करता है।

भारत सरकार की स्थिति

26. इंटरनेट अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है और

संचार। इंटरनेट एक विस्मयकारी विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करता है

विषयों से। सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का हिस्सा है। इंटरनेट को वास्तविक रूप से मान्यता मिल गई है।

लोकतांत्रिक माध्यम। संचार लगभग बिना किसी लागत के होता है। इंटरनेट वस्तुओं और सेवाओं के लिए भी एक बाजार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जून, 2016 में इंटरनेट को एक बुनियादी मानवाधिकार के रूप में मान्यता देते हुए एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया। यह बताया गया है कि

फिनलैंड 2010 में पहला देश बना जिसने ब्रॉडबैंड को प्रत्येक नागरिक के लिए कानूनी अधिकार बना दिया। 27. इंटरनेट पर प्रकाशन और प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के बीच अंतर है। श्रेया सिंघल बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। भारत संघ, जिसने इस विशिष्टता को मान्यता दी है। यह तर्क दिया जाता है कि इंटरनेट असीम चुनौतियों का सामना कर रहा है। उच्च गति और उच्च मात्रा पूर्व सेंसरशिप को अत्यधिक कठिन बना देती है। वेबसाइट/प्लेटफॉर्म की ओर से बिना किसी दिमाग के स्वचालित रूप से अपलोड किया जाता है।

28. वर्ष 2015 में, दुनिया में 3.5 करोड़ लोग थे जिन्होंने इंटरनेट का उपयोग किया था। फेसबुक पर तीस लाख थे

तस्वीरें प्रतिदिन अद्यतन की जाती हैं। हर मिनट में 510 टिप्पणियाँ और

293000 स्थितियाँ पोस्ट की जाती हैं। 2013 में ट्विटर पर 200 अरब ट्वीट किए गए थे। पारंपरिक टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों और समाचार पत्रों में,

सामग्री को दर्शक या पाठक तक पहुँचाया जाता है। का चयन

8 (2015) 5 एस. सी. सी. 1 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

पाठक या दर्शक सामग्री को देखने या उसे पढ़ने तक सीमित हैं। इंटरनेट, यह बताया गया है, पुल सिद्धांत पर काम करता है जहां यह दर्शक है जिसका पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अपनी पसंद का प्रयोग करता है कि वह किस सामग्री को देखना या पढ़ना चाहता है।

29. इंटरनेट संकेत प्रसारित करने के लिए सार्वजनिक स्पेक्ट्रम और वायु तरंगों का उपयोग करता है। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य बनाम। बंगाल क्रिकेट संघ और अन्य, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि श्रोताओं का अधिकार और

प्रसारक नहीं, बल्कि दर्शक सर्वोपरि हैं। वायु तरंगें और आवृत्तियाँ सार्वजनिक संपत्ति हैं। सरकार द्वारा एकाधिकार या

30. अधिनियम की धारा 79 के संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के संस्करणों के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है। यह है। उन्होंने तर्क दिया कि मध्यस्थ की परिभाषा से ही पता चलेगा कि वह कोई संपादक या प्रकाशक नहीं है जैसा कि प्रिंट मीडिया के संदर्भ में समझा जाता है। परिभाषा से जो प्रवाह होता है वह भूमिका की ओर इशारा करता है

सूचना के चयनकर्ता या संपादक के बजाय सुविधा प्रदाता या संवाहक। गंभीरसिंह आर. डेकारे बनाम मामले में निर्णय में इस न्यायालय के विचारों से प्रकाश प्राप्त करने की मांग की गई है। फाल्गुनभाई चिमाभाई पटेल और अन्य 1 0:

अनुमान और इसे एक पर्याप्त सबूत माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित होता है। हमने जो दृष्टिकोण लिया है, वह के. एम. मैथ्यू बनाम में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन पाता है। के. ए.

अब्राहम [(2002) 6 एससीसी 670: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1480], जिसमें

यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः (एस. सी. सी पी. 676, पैरा 20)

9 (1995) 2 एससीसी 161 10 (2013) 2 एससीसी 161 [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 20. अधिनियम में निहित प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिस संपादक का नाम समाचार पत्र में छपा है, उसके खिलाफ यह धारणा हो सकती है कि वह इसका संपादक है।

ऐसा प्रकाशन और वह प्रकाशन के लिए मामले का चयन करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, मुख्य संपादक, निवासी संपादक या प्रबंध संपादक के खिलाफ इसी तरह का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

फिर भी, शिकायतकर्ता अभी भी आरोप लगा सकता है और साबित कर सकता है कि उन्हें जानकारी थी और वे प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे

मानहानिकारक समाचार आइटम। यहां तक कि धारा 7 के तहत धारणा भी एक खंडन योग्य धारणा है और इसे अन्यथा साबित किया जा सकता है। यह अपने आप में इंगित करता है कि संपादक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी मामले के चयन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक समाचार पत्र में प्रकाशित।

9999

31. उपरोक्त चर्चा एक संपादक के संदर्भ में थी

पुस्तकों का प्रेस और पंजीकरण अधिनियम, 1867।

32. इसके अलावा, इंटरनेट प्लेटफार्मों के सेवा प्रदाता और एक प्रवर्तक की भूमिका के बारे में संदर्भ दिया गया है।

शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। 2016 की आपराधिक अपील संख्या 1222 में दिल्ली सरकार एन. सी. टी.

33. इंटरनेट एक मुक्त मंच है। यह फ्री ओपन के कारण है।

इंटरनेट की लोकतांत्रिक प्रकृति।

34. यह तर्क दिया जाता है कि मुक्त पर एक ठंडा प्रभाव पड़ेगा

भाषण यदि कोई मध्यस्थों को केवल व्यक्तियों द्वारा बदनाम होने या अनुचित रिपोर्टिंग के अंत में होने की शिकायतों पर हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। यदि अनुमति दी जाती है, तो इस तरह के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सेंसरशिप का निजीकरण होगा जो मुफ्त में खतरनाक होगा। विचारों की अभिव्यक्ति।

35. एक मध्यस्थ के दायित्व की सीमा के बारे में, यह तर्क दिया जाता है कि 2008 में संशोधन के बाद, मध्यस्थ की भूमिका

केवल सूचना या बिक्री के आदान-प्रदान के सहायक को मान्यता दी जाती है। भारत सरकार के अनुसार, संशोधन से पहले की स्थिति का उदाहरण अवनीश बजाज बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विषय से मिलता है। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 1 2.

11 (2017) 2 एससीसी 18

36. इंटरनेट पर किसी भी मानहानिकारक मामले को पोस्ट करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 79 के तहत हटाने का संदर्भ दे सकता है।

अधिनियम। अधिनियम की धारा 69 ए पर भरोसा किया जाता है। धारा 69 ए शक्ति प्रदान करती है। केंद्र सरकार को किसी भी मध्यस्थ को ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने पर निर्देश देकर पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए

अन्य कारकों के बीच संप्रभुता का हित। यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के तहत नियंत्रित है।

37. जहाँ तक विदेशी मध्यस्थ की सहायक कंपनी के दायित्व के संबंध में संघ के रुख का संबंध है, उस पर निर्भरता रखी जाती है -

यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय (ई. सी. जे.) का निर्णय।

38. इन गूगल स्पेन एस. एल., गूगल इंक. बनाम का मामला। एजेन्सिया

यूरोपीय संघ की न्याय अदालत (ई. सी. जे.), एस्पानोला डी प्रोटेक्सियन डी डेटोस (ए. ई. पी. डी.), मारियो कोस्टेजा गोंजालेज 1 3, केस सी-131/12, महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में। गूगल स्पेन में, ई. सी. जे. ने किसी व्यक्ति के भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी, जिससे वह खोज परिणामों को हटाने में सक्षम हो जाता है जो उसके गोपनीयता हितों का उल्लंघन करते हैं। मामला भौगोलिक है।

प्रभावः पहला, क्या इस तरह की सामग्री को हटाना यूरोपीय संघ के दर्शकों तक ही सीमित होगा, और दूसरा, क्या यूरोपीय संघ की अदालत के पास विदेशी मध्यस्थों को सामग्री को हटाने का निर्देश देने का अधिकार है। न्यायालय ने गूगल के विरोधियों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार कियाः

(i) कि गूगल की खोज इंजन गतिविधियाँ विज्ञापन स्थान बेचने की गतिविधि से निकटता से संबंधित हैं, जो है

वास्तव में गूगल जैसी कौन सी सहायक कंपनियां हैं

स्पेन में प्रतिष्ठान लगे हुए हैं।

(ii) इसके परिणामस्वरूप, गूगल की स्पेनिश सहायक कंपनी की "गतिविधियों के संदर्भ में" खोज इंजन सेवा से संबंधित प्रसंस्करण गतिविधियाँ भी की जा रही हैं।

(iii) वादी, स्पेन और ऑस्ट्रिया के वकीलों ने इसी तरह खोज इंजन सेवा और व्यवसाय मॉडल के दृष्टिकोण से विज्ञापन स्थान की बिक्री के बीच के संबंध पर जोर दिया; यह तर्क देते हुए कि स्पेन में गूगल की स्थापना की गतिविधि को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सहायक गतिविधि, बल्कि प्राथमिक गतिविधि के एक अभिन्न अंग के रूप में (यानी विज्ञापन की बिक्री) स्थान) (पैराग्राफ 46 से 52)।

13 ई. सी. एल. आई.: यूरोपीय संघः सीः 2014 :

39. इसलिए ई. सी. जे. ने माना कि खोज इंजन प्रचालक और उसके प्रतिष्ठान की गतिविधियाँ "अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं"।

खोज इंजन को आर्थिक रूप से लाभदायक और इंजन बनाने का साधन, साथ ही, उन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाने का साधन है। (अनुच्छेद 56)। न्यायालय पैराग्राफ में 53 और 54 ने नोट किया कि, यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण निर्देश 95/46 ने "व्यक्तियों को निर्देश द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा से वंचित होने और उस सुरक्षा को विशेष रूप से व्यापक क्षेत्रीय दायरे को निर्धारित करके दरकिनार किए जाने से रोकने की मांग की।" इन आधार पर

टिप्पणियों, ईसीजे ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित प्रसंस्करण

खोज इंजन सेवा को यूरोपीय संघ के क्षेत्र में स्थित "एक प्रतिष्ठान की गतिविधियों के संदर्भ में" होने के रूप में देखा जाना चाहिए (देखें

पैराग्राफ 53,54)। यह मामला मानता है कि विज्ञापन और उपयोगकर्ता आधार को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार घरेलू सहायक को माता-पिता के कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

40. रिचर्डसन बनाम में निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। फेसबुक 1 4 14. यह तर्क दिया जाता है कि हालांकि यह देखते हुए कि विदेशी निकाय

पावर कंपनी और अन्य 1 6. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णायक

41. धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा अब एकीकृत नहीं है। हम सोचेंगे कि यह पर्याप्त है यदि हम केवल हरियाणा राज्य और अन्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन करें। भजन लाल और अन्य। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः 14 (2015) ईडब्ल्यूएचसी 3154 (क्यूबी) 15 (1995) 1 एससीसी 478

16 (1988) 4 एस. सी. सी. 59 17 (1992) सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के माध्यम से मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति होती है।

किसी भी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है न्यायालय या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं मानते हैं या उनके खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

अभियुक्त।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हुए, मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा।

संहिता की धारा 155 (2) की परिधि।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं

और अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करें।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि नीचे विचार किया गया है।

संहिता की धारा 155 (2)।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है,

कार्यवाहियों की स्थापना और निरंतरता और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रतिशोध लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है।

अभियुक्त पर और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से।

103. हम इस प्रभाव के लिए सावधानी का एक नोट भी देते हैं कि शक्ति

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का बहुत प्रयोग किया जाना चाहिए संयम से और सावधानी के साथ और वह भी सबसे दुर्लभ में

दुर्लभ मामले; कि अदालत को शुरू करने में उचित नहीं ठहराया जाएगा

एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप और कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियाँ मनमाना अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने का अधिकार क्षेत्र है।

42. "दुर्लभ से दुर्लभतम" अभिव्यक्ति का दायरा क्या है?

” पैराग्राफ 103 में इंगित किया गया है, हम केवल जेफरी जे. डायरमियर और एक अन्य v में निर्णय के न्यायालय का उल्लेख कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य

धारा 1 8 जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून

एम मित्तल बनाम सरकार. कर्नाटक के 1,9 का उल्लेख किया गया हैः

" 23. "दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम" अभिव्यक्ति का उद्देश्य, जिसका संदर्भ श्री वेणुगोपाल ने दिया था,

हाल ही में सोम मित्तल (2) v में समझाया गया है। सरकार. से

कर्नाटक [(2008) 3 एससीसी 574: (2008) 1 एससीसी (एल एंड एस) 910: (2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1] तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहाः (एससीसी पीपी। 580-81 , पैरा 9)

" 9. जब 'दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम' शब्दों का उपयोग किया जाता है

शब्द 'संयम और सावधानी के साथ' का वर्णन करते हुए

धारा 482 के दायरे में, वे शब्द केवल इस बात पर जोर देते हैं और दोहराते हैं कि 'संयम और संयम के साथ' शब्दों द्वारा क्या व्यक्त किया जाना है।

0) 6 एससीसी 243

08) 3 एससीसी 753 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

निरीक्षण '। उनका मतलब है कि धारा 482 के तहत शक्ति

कार्यवाही को रद्द करने के लिए यांत्रिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए या नियमित रूप से, लेकिन सावधानी और सावधानी के साथ, केवल तभी जब एक स्पष्ट मामला

इसका उपयोग उस अर्थ में नहीं किया जाता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराधों के लिए सजा, लेकिन जोर देने के लिए

कि धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति या

आपराधिक कार्यवाही का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और निरीक्षण "।

(जोर दिया गया)

43. सिद्धांतों को लागू करते हुए, सवाल यह होगा कि क्या

अपीलार्थी ने Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में राहत देने के लिए एक मामला बनाया था। जहाँ तक मानहानि का अपराध है

संबंधित, भले ही धारा 500 के तहत अपराध Cr.PC की पहली अनुसूची के तहत गैर-संज्ञेय है, मामला नियंत्रित नहीं किया जाएगा। भजन लाल (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 2 द्वारा क्योंकि यह एक शिकायत का मामला है न कि पुलिस रिपोर्ट का। समान रूप से, भजन लाल (उपरोक्त) का अनुच्छेद 4 इसी कारण से लागू नहीं होता है। हम यह नहीं सोचते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम यह मान सकते हैं कि कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपीलार्थी पर प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई है ताकि निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध किया जा सके।

44. इसके बाद, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई स्पष्ट कानूनी है

संहिता या अधिनियम के किसी भी प्रावधान में निहित संस्था के लिए क्षेत्र को नियंत्रित करने और कार्यवाहियों को जारी रखने पर रोक। यहीं पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के प्रावधानों का महत्व होगा।

45. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79, जैसा कि था

मूल रूप से अधिनियमित, निम्नानुसार पढ़ा गयाः

" अध्याय बारहवाँ

नेटवर्क सेवा प्रदाता उत्तरदायी नहीं होंगे

निश्चित मामलों में

79. नेटवर्क सेवा प्रदाता कुछ मामलों में उत्तरदायी नहीं होंगेः

शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई व्यक्ति नहीं

नेटवर्क सेवा प्रदाता के रूप में कोई भी सेवा प्रदान करना उत्तरदायी होगा।

इस अधिनियम, नियम या उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत किसी भी तीसरे के लिए

पक्ष की जानकारी या उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा यदि वह साबित करता है कि अपराध या उल्लंघन उसके बिना किया गया था

ज्ञान या कि उसने रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था

ऐसा अपराध या उल्लंघन करना।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजन के लिए,

(क) "नेटवर्क सेवा प्रदाता" का अर्थ है एक मध्यस्थ;

(ख) "तीसरे पक्ष की जानकारी" का अर्थ है कोई भी जानकारी जो दी गई हो।

एक नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा अपनी क्षमता में

एक मध्यस्थ "।

(जोर दिया गया)

46. उक्त प्रावधान को सूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

2008 का विज्ञान (संशोधन) अधिनियम। यह लागू हुआ

. 2009 . वह इस प्रकार हैः

(1) उस समय के लिए किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रवृत्त लेकिन उप-धाराओं के प्रावधानों के अधीन होना (2)

और (3), एक मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसके द्वारा होस्ट की गई जानकारी, डेटा या संचार लिंक।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे यदि -

(a) मध्यस्थ का कार्य प्रदान करने तक सीमित है

एक संचार प्रणाली तक पहुंच जिस पर

तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रेषित की जाती है

या अस्थायी रूप से संग्रहीत; या

(ख) मध्यस्थ नहीं करता है

((i) संचरण प्रारंभ करें,

((ii) संचरण के प्राप्तकर्ता का चयन करें, और

((ग) इसमें निहित जानकारी का चयन या संशोधन करें।

प्रसारण

(ग) मध्यस्थ उचित परिश्रम का पालन करता है जबकि

इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन और पालन भी करता है ऐसे अन्य दिशानिर्देश जो केंद्र सरकार दे सकती है

इस संबंध में निर्धारित करें (आई. टी. ए. ए. 2008 के माध्यम से सम्मिलित)

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि -

(क) मध्यस्थ ने गैरकानूनी कार्य (आई. टी. ए. ए. 2008) करने की साजिश रची है या उकसाया है या सहायता की है या प्रेरित किया है, चाहे वह धमकी या वादे से हो या अन्यथा। (ख) वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर, या अधिसूचित होने पर

मध्यस्थ बिना दूषित किए उस संसाधन पर उस सामग्री को तेजी से हटाने या अक्षम करने में विफल रहता है। किसी भी तरह से सबूत।

व्याख्याः - इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "तीसरा"

पार्टी की जानकारी "का अर्थ है किसी भी जानकारी से निपटना

एक मध्यस्थ के रूप में अपनी क्षमता में मध्यस्थ।

47. उच्च न्यायालय ने धारा के पहले के अवतार की तुलना की है

नए जोड़े गए प्रावधान और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गएः

" 4. ..... हाथ में मामले में, पहले प्रतिवादी जारी करने के बावजूद

मानहानिकारक के प्रसार के बारे में याचिका लाने का नोटिस ए-1 के माध्यम से सामग्री और गैरकानूनी गतिविधि

ए-2 के माध्यम से, याचिकाकर्ता/ए-2 ने उक्त सामग्री को अवरुद्ध करने या गैरकानूनी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अपनी छोटी उंगली नहीं हिलाई। इसलिए याचिकाकर्ता/ए-2 अधिनियम की धारा 79 के तहत किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है।

मूल रूप से या अधिनियम की धारा 79 संशोधन के बाद जो

27.10.2009 से प्रभावी हुआ। निचली अदालत में वर्तमान मामला जनवरी, 2009 में उन अपराधों से संबंधित था जो उक्त प्रावधान के संशोधन से बहुत पहले से किए जा रहे हैं।

48. धारा 79 के संबंध में उच्च न्यायालय की चर्चा से निम्न निष्कर्षों का पता चलता हैः

ए। धारा 79 के पूर्ववर्ती संस्करण ने प्रभाव को कम रखा

अन्य कानून। संशोधन के बाद, धारा 79 धारा 79 की उप-धारा (2) के अधीन तीसरे पक्ष की जानकारी के संबंध में किसी भी अन्य कानून से छूट प्रदान करती है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बी। धारा 79 के मौजूदा प्रावधानों के तहत मध्यस्थ

धारा 79 में शरण नहीं ले सकता है यदि यह विफल रहता है

पहुँच को शीघ्रता से हटाएँ या अक्षम करें

आपत्तिजनक सामग्री या गैरकानूनी गतिविधि की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के बाद भी।

सी। मामले में, यह पाया गया है कि पहले प्रतिवादी के बावजूद

के प्रसार के बारे में नोटिस जारी करने की शिकायत अल-अभियुक्त सं. की ओर से मानहानिकारक जानकारी। 1 अपीलार्थी ने रोकने के लिए अपनी छोटी उंगली नहीं हिलाई

सामग्री या गैरकानूनी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकना। अपीलार्थी का यह आचरण उसे धारा 79 के प्रावधानों के तहत या प्रतिस्थापन के बाद धारा 79 के तहत संरक्षण का दावा करने से वंचित कर देता है। इस मामले में अपराध प्रतिस्थापन से बहुत पहले से 31.07.2008 के बाद से कायम था।

अधिनियम 79 एक सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान है। सामग्री, उत्पादों की मेजबानी, प्रसार और अनुक्रमणिका के लिए इंटरनेट मध्यस्थ औरइंटरनेट पर तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित। अलग-अलग मध्यस्थ हैं। इनमें शामिल हैंः

आई. इंटरनेट अभिगम और सेवा प्रदाता (आई. एस. पी.)। एयरटेल, वोडाफोन, बी. एस. एन. एल. आदि की इस श्रेणी में उदाहरण दिए गए हैं।

ii. डेटा प्रोसेसिंग और वेब होस्टिंग प्रदाता। उदाहरण

इसमें गोडाडी और बिगरॉक शामिल हैं।

iii. इंटरनेट सर्च इंजन और गूगल, याहू जैसे पोर्टल

और बिंज;

iv. ई-मेल होस्ट जैसे जीमेल (गूगल) और याहूमेल;

वी. फिर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे

वाट्सऐप, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप आदि। ;

vi. ई-कॉमर्स मध्यस्थ जहाँ प्लेटफॉर्म अमेज़ॅन इंडिया की तरह बेचे जा रहे सामान का शीर्षक नहीं लेते हैं,

फ्लीपकार्ट, आदि।

; गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

vii. इंटरनेट भुगतान प्रणाली और मोबाइल वॉलेटर्स जैसे

पेटीएम, आदि। ;

viii. सहभागी इंटरनेट प्लेटफॉर्म भी हैं।

51. 2008 के संशोधन ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अध्याय 12 पेश किया। यह संशोधन अविनाश बजाज बनाम मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में था। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2 0.

52. मध्यस्थ केवल एक अलग आधार पर खड़े हैं

सूचना या बिक्री के आदान-प्रदान की सुविधा देने वाले। संशोधन से पहले, धारा 79 के तहत छूट का प्रावधान मौजूद नहीं था और इसलिए, एक मध्यस्थ अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा के लिए उत्तरदायी होता जैसा कि बाजीद (उपरोक्त) में देखा गया है। संशोधन के बाद, मध्यस्थ किसी भी अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं है यदि वह धारा 79 में विस्तृत कुछ आवश्यकताओं को पूरा करता है।

53. श्रेया सिंघल (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करने के बाद,

भारत सरकार ने कानून में इस स्थिति को समझा है कि धारा 79 का अर्थ यह है कि एक मध्यस्थ को केवल वास्तविक जानकारी प्राप्त करने पर ही जानकारी को हटाने की आवश्यकता होगी कि - अदालती आदेश कुछ सामग्री को हटाने या अक्षम करने के लिए पारित किया गया है और अन्यथा नहीं। भारत सरकार का आगे का रुख यह है कि यह मान्यता है कि मध्यस्थ और तटस्थ मंच केवल जानकारी को सुविधाजनक बना रहे हैं। भारत सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि इस न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल (ऊपर) में दी गई व्याख्या उच्च न्यायालय को तब उपलब्ध नहीं थी जब उसने इस मामले में विवादित आदेश पारित किया था। श्रेया सिंघल स्पष्ट करती हैं कि

मध्यस्थ का दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि वह सामग्री को कम करने में विफल न हो जाए।

अदालत के आदेश या सरकारी संचार द्वारा वास्तविक जानकारी होने पर। यह सुरक्षा व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भयावह प्रभाव से बचने के लिए रखी गई है। यदि एक विपरीत दृष्टिकोण लिया जाता है, तो मध्यस्थों को सुपर सेंसर का दर्जा दिया जाएगा और इंटरनेट को किसी भी और सभी प्रकार की जानकारी को प्रकाशित करने, प्राप्त करने और पढ़ने के लिए एक लोकतांत्रिक माध्यम की अनूठी विशेषता से वंचित किया जाएगा।

54. इंटरनेट की विशेष अनूठी विशेषता के कारण, मध्यस्थ ऐसी सामग्री के बारे में जानने की स्थिति में नहीं हैं जो

अपने प्लेटफार्मों पर स्वयं पोस्ट किया गया और इसलिए, सख्त देयता सिद्धांत 20 116/2005 डीएलटी 427 [2019] 17 एस. सी. आर.

इंटरनेट मध्यस्थों पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह भारत सरकार का विशिष्ट रुख है कि संशोधन से पहले भी, एक मध्यस्थ को इस पर क्या लिखा गया है, इसकी सामग्री का पता नहीं था। वेबसाइट और इसलिए, किसी अदालत या सरकारी एजेंसी द्वारा हटाने के आदेश के अभाव में उत्तरदायी ठहराया जाए।

55. यह भी देखा गया है कि भारत सरकार ने सूचना की धारा 69 ए के तहत अवरोध के बीच अंतर माना है।

प्रौद्योगिकी अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत निष्कासन। धारा 69 ए इस प्रकार हैः

" 69 ए, सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति

किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी का

(1) जहां केंद्र सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है या राज्य में उकसावे को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के लिए, यह उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन हो सकता है लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारण, आदेश द्वारा सरकार या मध्यस्थ की किसी भी एजेंसी को जनता द्वारा पहुंच को अवरुद्ध करने या किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निर्देश देते हैं।

(2) प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय जिनके अधीन जनता द्वारा पहुँच के लिए इस तरह का अवरोध किया जा सकता है

वह ऐसा होगा जो विहित किया जाए।

3) उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहने वाले मध्यस्थ को एक -

सात तक की अवधि के लिए कारावास

वर्षों तक और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। "

56. यह इंगित किया गया है कि जिन आधारों के तहत सरकार

सूचना को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए निर्देश सीमित हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह के मामलों तक सीमित हैं। मानहानि, अदालत की अवमानना आदि के किसी भी मामले को रोकने के लिए शक्ति का विस्तार नहीं होता है। आपराधिक मानहानि के लिए धारा 69 ए के तहत अवरोधन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह धारा 69 ए के दायरे में नहीं आता है।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसलिए, यदि कोई पक्ष वेबसाइट पर मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से व्यथित है, तो उसे निर्णय के लिए अदालत की प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (3) के तहत मामले को हटाने या अक्षम करने का निर्देश दिया जा सकता है। चूंकि, न्यायालय की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, इसलिए पीड़ित पक्ष एक सक्षम अदालत के समक्ष अंतरिम आदेश की मांग कर सकता है।

57. वास्तव में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने, इस प्रकार, धारा 79 के आधार पर मामले का प्रचार नहीं किया था।

प्रतिस्थापित। हालाँकि, हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसके दायरे को चित्रित करना उचित समझते हैं कि यदि अधिनियम के तहत अपीलार्थी पर आपराधिक दायित्व जोड़ने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध है, तो यह एक मामला बन जाएगा -

अधिकार क्षेत्र। भारत सरकार का यह भी रुख है कि

प्रतिस्थापन से पहले अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थ पर कोई दायित्व नहीं होगा जैसा कि हमने पहले बताया है।

59. इस सवाल पर कि क्या धारा 79, जैसा कि प्रतिस्थापन से पहले थी, एक मध्यस्थ को एक कवच प्रदान करेगी, हम निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करेंगे। 60. हमारे विचार में, धारा 79, अपने प्रतिस्थापन से पहले, नेटवर्क सेवा प्रदाता, जिसे एक मध्यस्थ के रूप में परिभाषित किया गया है, को छूट देता है।

उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा के संबंध में उसके तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत दायित्व सेवा प्रदाता को प्रदान किया गया हैः

1. साबित करता है कि अपराध या उल्लंघन किया गया था

उसके ज्ञान के बिना;

2. सेवा प्रदाता यह साबित करता है कि उसने इस तरह के कार्य को शुरू होने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था

अपराध या उल्लंघन।

61. इस प्रावधान को अधिनियम की धारा 79 के बाद के अवतार के साथ विपरीत किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्थापन से प्रभाव पड़ता है

27.10.2009 . धारा 79 की उप-धारा (1), स्पष्ट शब्दों में, [2019] 17 एस. सी. आर.

एक निर्विवाद खंड के माध्यम से घोषणा करता है कि किसी भी कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद जो लागू है, हालांकि प्रावधानों के अधीन है उप-धारा (2) और (3) के अनुसार, एक मध्यस्थ अपने द्वारा होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। शर्तें उप-धारा (2) में निर्धारित की गई हैं।

62. जैसा कि हमने देखा है, धारा 79 का दायरा, इसके प्रतिस्थापन से पहले, अधिनियम या नियमों या विनियमों के तहत किसी अपराध के संबंध में दायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान करने तक सीमित था।

कार्रवाई या डेटा उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम का अध्याय 11 अपराधों से संबंधित है। धारा 65 से 67 बी अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों से संबंधित है। यह अधिनियम की धारा 71,72 ए, 73 और 74 के अलावा है। धारा 79 अध्याय XII के अंतर्गत आती है। इसलिए, अधिनियम की योजना यह भी इंगित करेगी कि धारा 79, जैसा कि प्रतिस्थापन से पहले थी, वास्तव में अधिनियम के प्रावधानों से उत्पन्न नेटवर्क सेवा प्रदाता के दायित्व तक ही सीमित थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नियम और विनियम, और यह, संक्षेप में, आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत शिकायत शुरू करने या मुकदमा चलाने के लिए एक बाधा नहीं थी।

63. संक्षेप में, शिकायत अधिनियम की धारा 79 के प्रतिस्थापन से बहुत पहले की अवधि से संबंधित है, जो अंततः केवल हुई थी।

27.10.2009 से प्रभावी। श्रेया सिंघल (ऊपर) में अदालत थी धारा 79 के प्रावधानों पर विचार नहीं करना क्योंकि यह 27.10.2009 पर प्रतिस्थापन के समक्ष खड़ा था, जिस पर उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया है कि अपीलार्थी के लिए धारा 79 के तहत आश्रय लेने के लिए यह खुला नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जिन पर हम ध्यान देंगे।

64. वास्तव में, हम मामले के एक अन्य पहलू पर ध्यान दे सकते हैं। यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि धारा 79 हमें आगे भी संलग्न करेगी,

हम इसके प्रतिस्थापन से पहले धारा 79 की एक अभिन्न विशेषता से अनजान नहीं हो सकते हैं। जैसा कि हमने नोट किया है, कानून दाता ने सुरक्षा दी है

दायित्व बिना शर्त नहीं। यह सेवा प्रदाता को साबित करना है कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था। उसे यह भी साबित करना है कि उसने इसे रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए हैं। ऐसा अपराध या उल्लंघन करना। हम तर्क के उद्देश्य से यह मान लेंगे कि अपराध या उल्लंघन हो सकता है।

आई. पी. सी. की धारा 500 से भी संबंधित है। तब भी, प्रावधानों द्वारा दिए गए संरक्षण के लिए, जैसा कि यह उस समय था जब अपराध कथित गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी के विरुद्ध कथित रूप से उसके द्वारा किया गया था, आवेदन करने के लिए, अपीलार्थी पर यह साबित करना अनिवार्य हो जाएगा कि अपराध या उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम किए थे या उल्लंघन। यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तव में अधिनियम की धारा 79 का दायरा, प्रतिस्थापन से पहले, नेटवर्क सेवा प्रदाता को उसके तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत किसी भी दायित्व से छूट देने तक सीमित था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके द्वारा उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी या डेटा के संबंध में। एक का आयोग

आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत अपराध, अधिनियम या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत दायित्व नहीं होगा। हालांकि, यह निस्संदेह सच है कि सुरक्षा का दायरा

धारा 79 के प्रतिस्थापित प्रावधानों के लागू होने के साथ मध्यस्थ का उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके तहत संलग्न शर्तों के अधीन और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल (उपरोक्त) में समझाया गया है।

65. इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय को श्रेया मामले में इस न्यायालय के फैसले का लाभ नहीं मिला

सिंघल (ऊपर)। हम देख सकते हैं कि श्रेया सिंघल (ऊपर) में जिस पर विचार किया गया है वह प्रतिस्थापन के बाद धारा 79 थी। धारा 79 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 120. याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से एक ने धारा 79 (3) (बी) पर भी इस हद तक हमला किया कि यह मध्यस्थ को अपना अधिकार देता है।

वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर अपना निर्णय कि कोई भी जानकारी का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, "गैरकानूनी कार्य" अभिव्यक्ति भी अनुच्छेद 19 (2) में वर्णित निर्दिष्ट विषयों से परे है।

121. सबसे पहले यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि धारा 79 एक छूट का प्रावधान है। एक छूट प्रावधान होने के नाते, यह उन प्रावधानों से निकटता से संबंधित है जो धारा 69-ए सहित अपराधों के लिए प्रावधान करते हैं। हमने देखा है कि कैसे धारा 69 के तहत-प्रवर्तक और मध्यस्थ को सुनवाई सहित कई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद केवल एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। हमने यह भी देखा है कि कैसे केवल दो तरीके हैं जिनसे अवरोधन आदेश पारित किया जा सकता है-एक नामित अधिकारी द्वारा।

2009 के नियमों का पालन करने के बाद और दूसरे द्वारा

नामित अधिकारी जब उसे [2019] 17 एस. सी. आर. द्वारा पारित आदेश का पालन करना होता है।

122. धारा 79 (3) (बी) को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि मध्यस्थ को वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर कि अदालत का आदेश इसे कुछ सामग्री तक पहुंच को शीघ्रता से हटाने या अक्षम करने के लिए कहा गया है, फिर इसे शीघ्रता से हटाने में विफल होना चाहिए

उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 19 (2) में निर्धारित विषयों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अनुच्छेद 19 (2) में जो निर्धारित किया गया है, उससे परे गैरकानूनी कार्य स्पष्ट रूप से धारा 79 का कोई हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इन दो चेतावनियों के साथ, हम धारा 79 (3) (बी) को निरस्त करने से बचते हैं। 123. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमें सूचित किया कि मध्यस्थों के लिए नियम 3 (2) में बताए गए उपयोगकर्ता समझौतों को शामिल करना दुनिया भर में एक सामान्य प्रथा है। हालांकि, नियम

3 (4) खंड के समान ही पढ़ने की आवश्यकता है

79 (3) (बी)। उक्त उप-नियम में जिस ज्ञान का उल्लेख किया गया है, वह केवल अदालत के आदेश के माध्यम से होना चाहिए। इसके अधीन, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 वैध हैं।

XXX

XXX

XXX

अदालती आदेश से या उसके द्वारा अधिसूचित किए जाने पर जानकारी उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी जो गैरकानूनी कार्य करती है

अनुच्छेद 19 (2) के लिए प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं तो विफल रहता है ऐसी सामग्री तक पहुँच को शीघ्रता से हटा दें या अक्षम कर दें। इसी तरह, सूचना प्रौद्योगिकी "मध्यस्थ दिशानिर्देश" नियम, 2011 नियम 3 उप-नियम (4) को उसी तरीके से पढ़ने के अधीन मान्य हैं जैसा कि निर्णय में संकेत दिया गया है। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

66. न्यायालय प्रावधानों को चुनौती देने पर भी विचार कर रहा था

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 (इसके बाद संक्षेप में 'नियम' के रूप में संदर्भित)। ये नियम 2011 के बाद लागू किए गए थे। यह अधिनियम की धारा 87 के तहत बनाया गया था। नियम 3 में मध्यस्थ द्वारा उचित परिश्रम का पालन करने का प्रावधान है। यह नियमों और विनियमों और गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को प्रकाशित करने के लिए बाध्य है। मध्यस्थ को उपयोगकर्ता को कुछ मामलों का उपयोग नहीं करने के लिए सूचित करना है जिसमें मानहानिकारक पदार्थ शामिल हैं। नियमों के नियम 3 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि मध्यस्थ को जानबूझकर मेजबानी नहीं करनी थी या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी जानकारी को प्रकाशित करें। इस प्रकार, नियमों के तहत, मध्यस्थ जानबूझकर ऐसी जानकारी की मेजबानी या प्रकाशन नहीं कर सकता था जो अन्य बातों के साथ-साथ मानहानिकारक थी। नियमों के नियम 3 (4) को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 3. मध्यस्थ द्वारा उनका उचित परिश्रम किया गया

मध्यस्थ उचित परिश्रम का पालन करेगा जब तक कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, अर्थात्ः

XXX

XXX

XX

X

(4) मध्यस्थ, जिसके कंप्यूटर सिस्टम पर जानकारी है द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर संग्रहीत या होस्ट या प्रकाशित किया जाता है

स्वयं या किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा वास्तविक जानकारी में लाया गया

उपरोक्त उप-नियम (2) में उल्लिखित ऐसी कोई भी जानकारी, छत्तीस घंटे के भीतर कार्य करें और जहां लागू हो, उपयोगकर्ता के साथ काम करें

या ऐसी जानकारी का स्वामी ऐसी जानकारी को अक्षम करने के लिए जो है

उप-नियम (2) के उल्लंघन में। इसके अलावा मध्यस्थ करेगा

ऐसी जानकारी और संबंधित रिकॉर्ड को कम से कम कुछ समय के लिए सुरक्षित रखें।

जांच उद्देश्यों के लिए नब्बे दिन ",

67. यह स्पष्ट है कि पूरी चर्चा में किया गया था

प्रतिस्थापन के बाद धारा 79 के प्रावधानों को चुनौती देने का संदर्भ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ टिप्पणियां की गई हैं, जिनके प्रभाव से हम उस हद तक निपटेंगे जो इस मामले के लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक

बात यह है कि इस मामले को तय करने के उद्देश्य से, हमारा विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है जहां एक एक्सप्रेस है

इसके प्रतिस्थापन से पहले अधिनियम की धारा 79 के रूप में कानूनी रोक। हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकते कि हम एक आपराधिक शिकायत पर विचार कर रहे हैं और जिस प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह यह है कि शिकायत में कथित अपराध किया गया था या नहीं।

राजीव थापर और अन्य वी. मदन लाल कपूर आवेदन करेंगे?

68. अगला सवाल, जिसे हमें संबोधित करना चाहिए, वह यह है कि क्या

अपीलार्थी हमें इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए राजी कर सकता है कि क्या अपीलार्थी एक मध्यस्थ है और यह गूगल एल. एल. सी. है जो

मध्यस्थ।

69. " अधिनियम की धारा में मध्यस्थ को परिभाषित किया गया है।

2 (1) (यूए) (डब्ल्यू), जो इस प्रकार हैः " 2 (1) (यूए) (डब्ल्यू) "। मध्यस्थ ", किसी विशेष के संबंध में

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से

व्यक्ति उस अभिलेख को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या संचारित करता है या कोई जानकारी प्रदान करता है।

उस अभिलेख के संबंध में सेवा और इसमें दूरसंचार सेवा शामिल है

प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता,

वेब-होस्टिंग सेवा प्रदाता, खोज इंजन, ऑनलाइन भुगतान

साइट, ऑनलाइन-नीलामी साइट, ऑनलाइन-बाजार स्थान और साइबर कैफे; " 70. धारा 2 (1) (यूए) (जेडए) "प्रवर्तक" शब्द को परिभाषित करती हैः

" 2 (1) ((ज़ा) "प्रवर्तक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भेजता है, उत्पन्न करता है,

किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को संग्रहीत या प्रसारित करता है; या किसी भी कारण का कारण बनता है

इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजना, उत्पन्न करना, संग्रहीत करना या प्रेषित करना

किसी अन्य व्यक्ति के लिए लेकिन इसमें कोई मध्यस्थ शामिल नहीं है।

71. धारा 2 (1) (बी) 'प्राप्तकर्ता' शब्द को परिभाषित करती है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

निम्नलिखित हैः

कोई भी मध्यस्थ; "

72. अपीलार्थी के अनुसार, यह एक ऐसा मामला है जहाँ उच्च

न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार न करने और इसका उत्तर न देने में गलती की कि क्या अपीलार्थी मध्यस्थ है या नहीं। यह अपीलार्थी का मामला है

कि अपीलार्थी केवल गूगल एल. एल. सी. की सहायक कंपनी है जो इसकी मूल कंपनी है। यह उनका आगे का निवेदन है कि उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को गूगल समूहों के संबंध में सेवा की शर्तों से समर्थन प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए थी जो आश्वस्त रूप से स्थापित करता है कि सेवाएं गूगल एल. एल. सी. द्वारा प्रदान की गई थीं न कि अपीलार्थी द्वारा। इस संबंध में, राजीव थापर और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

मदन लाल कपूर 2 1 और एच. एम. टी. वॉचेस लिमिटेड v. एम. ए. आबिदा और

अपनी जिम्मेदारियों को 'संतुष्ट' करें। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रवर्तक, गूगल नहीं, जो अपलोड की जाने वाली सामग्री के लिए उत्तरदायी होगा, पोस्ट किया गया, प्रसारित किया गया, आदि, जिसे सामूहिक रूप से सेवा के माध्यम से पोस्ट किया गया है। उचित आचरण के तहत, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

" 5. उचित आचरण

आप इस बात से सहमत हैं कि आप अपने स्वयं के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं और

सेवा का उपयोग करते समय और किसी के लिए संचार

इसके परिणाम। आप केवल भेजने के लिए सेवा का उपयोग करने के लिए सहमत हैं और ऐसे संदेश और सामग्री प्राप्त करें जो कानूनी, उचित और

विशेष समूह से संबंधित। उदाहरण के रूप में, और सीमा के रूप में नहीं, आप सहमत हैं कि सेवा का उपयोग करते समय, आप नहीं करेंगेः

• मानहानि करना, दुर्व्यवहार करना, परेशान करना, पीछा करना, धमकी देना या अन्यथा कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करना (जैसे गोपनीयता के अधिकार और

दूसरों का प्रचार);

• किसी भी अनुचित, मानहानिकारक, उल्लंघनकारी, अश्लील पोस्ट करें,

या गैरकानूनी सामग्री;

• किसी भी सामग्री को पोस्ट करें जो किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य या किसी भी पक्ष ("अधिकार") के अन्य स्वामित्व अधिकार का उल्लंघन करती है, जब तक कि आप अधिकारों के मालिक न हों या इस तरह के पोस्ट करने के लिए मालिक की अनुमति न हो।

सामग्री;

• पिरामिड योजनाओं, श्रृंखला को बढ़ावा देने वाले संदेश पोस्ट करें

विज्ञापन, या समूह द्वारा निषिद्ध कुछ और मालिक;

• समूह के किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई कोई भी फ़ाइल डाउनलोड करें जिसे आप जानते हैं, या यथोचित रूप से जानना चाहिए, जो नहीं कर सकती है

कानूनी रूप से इस तरह से वितरित किया जाए;

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

• किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का प्रतिरूपण करना, या किसी भी लेखक के आरोप, कानूनी या अन्य उचित नोटिस या स्वामित्व पदनाम या सॉफ़्टवेयर की उत्पत्ति या स्रोत या पोस्ट की गई फ़ाइल में निहित अन्य सामग्री के लेबल को गलत साबित करना या हटाना; • किसी भी अन्य उपयोगकर्ता को उपयोग करने और आनंद लेने से प्रतिबंधित या बाधित करें।

सेवा;

किसी भी अवैध या अनधिकृत उद्देश्य के लिए सेवा का उपयोग करें;

• किसी भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य स्वामित्व को हटा दें।

सेवा में या उस पर निहित अधिकार सूचनाएँ; सेवा या सर्वर या सेवा से जुड़े नेटवर्क में हस्तक्षेप करें या उसे बाधित करें, या किसी भी सेवा की अवज्ञा करें।

आवश्यकताएँ, प्रक्रियाएँ, नीतियाँ या नियम

सेवा से जुड़े नेटवर्क;

सेवा के किसी भी हिस्से को पुनः प्राप्त करने या अनुक्रमित करने या किसी भी सेवा के लिए उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किसी भी रोबोट, स्पाइडर, साइट खोज/पुनर्प्राप्ति अनुप्रयोग, या अन्य उपकरण का उपयोग करें। अनधिकृत उद्देश्य;

ऐसी सामग्री प्रस्तुत करें जो गलत तरीके से व्यक्त या इंगित करती है कि ऐसी सामग्री Google द्वारा प्रायोजित या समर्थित है; स्वचालित माध्यमों से या गलत तरीके से उपयोगकर्ता खाते बनाएँ

या धोखाधड़ी का ढोंग;

अवैध गतिविधियों के बारे में निर्देशात्मक जानकारी को बढ़ावा देना या प्रदान करना या किसी भी समूह या व्यक्ति के खिलाफ शारीरिक नुकसान या चोट को बढ़ावा देना;

या

• किसी भी वायरस, कीड़े, दोष, ट्रोजन हॉर्स को प्रसारित करता है, या

विनाशकारी प्रकृति की कोई भी वस्तु।

राष्ट्रीय उपयोगकर्ता ऑनलाइन आचरण और स्वीकार्य सामग्री के लिए अपने स्वयं के स्थानीय नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिसमें संयुक्त राज्य या आपके देश में डेटा के निर्यात के लिए कानून भी शामिल हैं।

निवास स्थान।

ई गूगल इस तरह के आचरण और सामग्री को प्रतिबंधित करता है।

सेवा, आप समझते हैं और सहमत हैं कि आप फिर भी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस तरह के आचरण और/या सामग्री के संपर्क में हो सकता है और आप अपने जोखिम पर सेवा का उपयोग करते हैं।

73. हम यह भी देख सकते हैं कि "स्वामित्व अधिकार" शीर्षक के तहत, ग्लीज़ राइट्स का उल्लेख निम्नानुसार किया गया हैः

" 6. स्वामित्व अधिकार

गूगल के अधिकार गूगल और इसके सहयोगी और लाइसेंसधारक सभी अधिकारों के मालिक हैं और उन्हें बनाए रखते हैं।

सेवा में, जिसमें स्वामित्व और गोपनीयता शामिल है

ऐसी जानकारी जो लागू बौद्धिक संपदा द्वारा संरक्षित है

और अन्य कानून। गूगल द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत को छोड़कर, आप

प्रतिलिपि, संशोधन, प्रकाशन, प्रसारण, वितरण, प्रदर्शन, प्रदर्शन नहीं कर सकता है

या गूगल की किसी भी स्वामित्व वाली जानकारी को बेचें। गूगल

GROUPS ", गूगल के ट्रेडमार्क हैं।

74. हम शीर्ष के नीचे निम्नलिखित को भी देख सकते हैं

बयान ":

" 9. विज्ञापन

सेवा पर गूगल द्वारा विज्ञापन का तरीका और विस्तार हैं - परिवर्तन के अधीन। आप इस बात से सहमत हैं कि इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए Google जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

ऐसे किसी लेन-देन का या उनकी उपस्थिति के परिणामस्वरूप

सेवा पर विज्ञापनदाता "।

75. इसके अलावा, हमने "अस्वीकरण वारंटी" शीर्षक के तहत शर्तों पर ध्यान दियाः

गूगल और उसके सहयोगी, लाइसेंसधारक, भागीदार, आपूर्तिकर्ता, सलाहकार और एजेंट ("गूगल संस्थाएं") जानकारी या सामग्री की सटीकता, सामग्री, पूर्णता, वैधता, विश्वसनीयता, या संचालन या उपलब्धता के लिए किसी भी और सभी जिम्मेदारी या दायित्व को अस्वीकार करते हैं। सेवा पर प्रदर्शित। गूगल इकाइयाँ आपके आचरण और आचरण के लिए किसी भी और सभी जिम्मेदारी और दायित्व को अस्वीकार करती हैं।

सेवा का उपयोग करने वाले अन्य लोग। सेवा, और सभी सामग्री, जानकारी

(बिना किसी सीमा के शामिल, कोई भी [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जानकारी या सामग्री का उद्देश्य या

सेवा के माध्यम से प्राप्त), उत्पाद और

इनमें शामिल सेवाएँ "जैसे-जैसे" प्रदान की जाती हैं

है, "बिना किसी वारंटी के। द.

लागू और स्थिति संबंधी चेतावनी, जिसमें शामिल हैं, बिना किसी सीमा के, की चेतावनियाँ

सहिष्णुता, एक भागीदार के लिए योग्यता

ओ.

गैर-सूचना

उद्देश्य,

और

संपत्ति अधिकार। कुछ राज्य अनुमति नहीं देते हैं प्रभाव का बहिष्करण या सीमा

चेतावनी, इसलिए उपरोक्त दावे और अपवाद आपके लिए लागू नहीं हो सकते हैं।

आप इस बात से सहमत हैं कि आपकी सेवाओं का उपयोग

पूरी तरह से अपने जोखिम पर "

76. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सेवा की शर्तें

यह पार्टी और गूगल के बीच पूरे समझौते का गठन करता है। "गूगल समूह सामग्री नीति" के तहत, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया था कि बच्चों का शोषण करने वाली सामग्री के प्रति गूगल की शून्य-सहिष्णुता नीति है। गूगल घृणा भाषण को हटाने की शक्ति रखता है जिसे ऐसी सामग्री के रूप में समझाया गया है जो

नस्ल, जातीयता, धर्म, अक्षमता, लिंग, आयु, वयोवृद्ध स्थिति, या यौन अभिविन्यास के आधार पर समूहों के प्रति घृणा या हिंसा को बढ़ावा देता है। लिंग पहचान। समूहों का उपयोग करके अन्य लोगों को धमकाने, परेशान करने या धमकाने के खिलाफ एक उपदेश है। एक बार फिर यह शर्त है कि समूहों का उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि को प्रोत्साहित करने या खतरनाक और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

77. जहां तक राजीव थापर (उपरोक्त) में निर्णय का संबंध है,

अपीलार्थी, संबंधित है, इसमें निम्नलिखित तथ्य शामिल थे। उसमें अपीलार्थी का विवाह मृतक से हुआ था। मृतक बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें मलेरिया से पीड़ित होने का पता चला था। छुट्टी मिलने के बाद वह फिर से बीमार पड़ गईं। द. इकोकार्डियोग्राफी ने उनके हृदय में एक बड़े छेद की उपस्थिति की पुष्टि की। उन्होंने एक बड़े दिल के दौरे के कारण दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने जहर दिए जाने का संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल बोर्ड ने पाया कि मृत्यु कार्डियक डीकंपेंसेशन के कारण हुई है। सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट ने भी संकेत दिया कि नहीं

आम जहर। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिनसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क किया गया था।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

मृतक के पिता ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया और अपीलार्थी-अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने धारा 482 के तहत किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के तरीके के संबंध में पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाया।

ई Cr.PC:

कानून के अनुसार साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने बचाव को स्थापित करके। इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक अंतहीन सूची है जो इस कानूनी स्थिति को घोषित करती है कि एक ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष/शिकायतकर्ता ने लगाए गए आरोप (ओं) के सभी तत्वों को सामने लाते हुए आरोप लगाए हैं, और सामग्री रखी है। न्यायालय के समक्ष, प्रथम दृष्टया सत्य का साक्ष्य देते हुए

लगाए गए आरोप, मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

30. पूर्वगामी पैराग्राफ में बताए गए कारकों के आधार पर,

हम अभियुक्त द्वारा की गई रद्द करने की प्रार्थना की सत्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का वर्णन करेंगे।

धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्तिः

30.1 . पहला कदमः क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है वह ठोस, उचित और निर्विवाद है अर्थात वह सामग्री स्टर्लिंग की है।

और त्रुटिहीन गुणवत्ता? 30.2 . दूसरा चरणः क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी, यानी सामग्री अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है और [2019] 17 एस. सी. आर.

सामग्री ऐसी है जो एक उचित व्यक्ति को खारिज करने के लिए राजी करेगी और आरोपों के तथ्यात्मक आधार को झूठा बताते हुए निंदा करते हैं?

30.3 . तीसरा कदमः क्या अभियुक्त द्वारा सामग्री पर भरोसा किया गया था

अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है; और/या

सामग्री ऐसी है कि इसका उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है

अभियोजन/शिकायतकर्ता?

30.4 . चौथा चरणः क्या मुकदमे के साथ आगे बढ़ने का परिणाम होगा

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग में, और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा

न्याय का?

30.5 . यदि सभी कदमों का जवाब सकारात्मक है, तो न्यायिक

उच्च न्यायालय की अंतरात्मा को इसे रद्द करने के लिए राजी करना चाहिए

इसके अधीन निहित शक्ति के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता। न्याय करने के अलावा शक्ति का ऐसा प्रयोग

अभियुक्त के लिए, अदालत का बहुमूल्य समय बचेगा, जो

अन्यथा इस तरह के मुकदमे को आयोजित करने में बर्बाद हो जाएगा (साथ ही साथ

) विशेष रूप से जब यह स्पष्ट हो कि

यही बात अभियुक्त की दोषसिद्धि में समाप्त नहीं होगी। "

(जोर दिया गया)

78. अदालत ने यह भी घोषणा की कि उच्च न्यायालय को पूरी तरह से होना चाहिए

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सामग्री और उस सामग्री के बारे में संतुष्ट

बचाव ऐसा होना चाहिए कि यह ठोस, उचित और निर्विवाद तथ्यों पर आधारित हो।

79. एच. एम. टी. घड़ियों (ऊपर) में, शिकायत एक के तहत थी

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करने में उच्च न्यायालय को दोषी ठहराया

धारा 482 के तहत एक याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्न समाप्त करने के लिए

कि अपराध नहीं बनाया गया था। तथ्यगत मामले जो पक्षों के बीच स्वीकार नहीं किए गए थे, वे उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप का आधार नहीं बन सकते थे।

80. प्रयास के संबंध में, अपीलार्थी की ओर से,

हमें राजीव थापर (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए राजी किया, हमने निम्नलिखित पर उक्त पाठ्यक्रम शुरू करने से हतोत्साहित महसूस कियाः

तर्क। यह सच है कि उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी ने इस तर्क को लेना चाहा है कि वेबसाइट गूगल इंक, मूल कंपनी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपीलार्थी की और यह कि सेवाएं माता-पिता द्वारा प्रदान की जाती हैं कंपनी सीधे उपयोगकर्ताओं को। अपीलार्थी का यह भी मामला है कि वेबसाइट पर प्रदान की जाने वाली सेवा मुफ़्त है और अंतिम उपयोगकर्ता बिना कोई भुगतान किए ब्लॉग पोस्ट कर सकता है। वेबसाइट पर सेवा की शर्तें और सामग्री नीति भी दिखाई देती है। हालाँकि, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश से पता चलता है कि अदालत ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की दलीलों को इस प्रकार समझाः

मानहानि उत्पन्न नहीं होती है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने सूचना की धारा 79 पर भरोसा जताया इसके समर्थन में प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, अधिनियम)

विवाद "।

81. अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव, जो उसके अनुसार,

मूल कंपनी द्वारा अपनी शर्तों में निर्धारित शर्तों के रूप में दस्तावेजों से युक्त, विवादित हैं। बहिष्कृत करने के लिए, के अनुसार

प्रत्यर्थी के लिए, उक्त तर्क तथ्यात्मक है। एक मामला यह भी है कि उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के अधिदेश का पालन किए बिना पेश किया जाता है। इस संबंध में अनवर पी. वी. बनाम पर निर्भरता रखी गई है। पी. के. बशीर और अन्य 23. प्रत्यर्थी के लिए यह भी निश्चित मामला है कि अपीलार्थी को गूगल समूह के सामान्य आर्थिक इकाई का हिस्सा होने में अपनी भूमिका को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शिकायतकर्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी ने किसी भी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया

न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना कि वे भारत में किन गतिविधियों में लिप्त हैं। एसोसिएशन के ज्ञापन को यह तर्क देने के लिए संदर्भित किया जाता है कि मुख्य उद्देश्यों में नेटवर्क से संबंधित उत्पाद या सेवाएं और अनुप्रयोग प्रदान करना शामिल है। यह शिकायतकर्ता का मामला है कि वास्तव में गूगल इकोनॉमिक एंटिटी के पूरे संचालन, उपयोगकर्ताओं को कथित रूप से मुफ्त में डिजिटल स्थान प्रदान किया जाता है, लेकिन विचार के रूप में उनके व्यक्तिगत डेटा को अलग करने के लिए बनाया जाता है। उक्त डेटा का उपयोग विज्ञापन राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अपीलार्थी की जिम्मेदारी होगी यदि वह इस तथ्य को दूर करना चाहता है ताकि यह दिखाया जा सके कि अपीलार्थी की गूगल की गतिविधियों में याचिका दायर करने की कोई भूमिका नहीं है। क्या यह गूगल आई. एन. सी. है, जो गूगल समूहों के लिए जिम्मेदार है और अपीलकर्ता नहीं है, यह 23 (2014) 10 एससीसी 473 [2019] 17 एस. सी. आर.

शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवाद किया जाता है, यह साक्ष्य का विषय है। यह इस न्यायालय के समक्ष कागजी पुस्तकों के साथ दायर दस्तावेजों की फोटोकॉपी के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

82. हमने देखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है

गूगल समूह की शर्तें उच्च न्यायालय के समक्ष भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तर्क भी लिया गया है कि यह गूगल समूह है जो एक मध्यस्थ है।

83. इस संबंध में, यह हमारा विचार है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय को विशेष रूप से निम्नलिखित के रुख के आलोक में आमंत्रित किया जा सकेः शिकायतकर्ता, जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करके निर्णय करे कि यह मूल कंपनी है जो वास्तविक मध्यस्थ है और अपीलार्थी नहीं है। हम इस संबंध में Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में सिविल न्यायालय से कोई निष्कर्ष उधार लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हमें खुद को यह भी याद दिलाना चाहिए कि कार्यवाही उस स्तर पर है जहां उच्च न्यायालय ने सिविल संहिता की धारा 100 के तहत दायर दूसरी अपील में अपीलार्थी के पक्ष में एक निष्कर्ष दर्ज किया है।

प्रक्रिया, 1908 (इसके बाद संक्षेप में 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित)। हालाँकि, यह आम मामला है कि दोनों पक्षों ने समीक्षा याचिकाएँ दायर की हैं। दूसरे शब्दों में, मामला अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है।

84. इस संबंध में, हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या शिकायतकर्ता अपीलार्थी के इस संस्करण को स्वीकार करता है या इस पर विवाद करता है। हम.

यह सोचेगा कि शिकायतकर्ता अपीलार्थी की वास्तविक भूमिका को स्वीकार नहीं करता है। अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी के संचालन की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। मूल कंपनी और अपीलार्थी के बीच वास्तविक संबंध क्या है, शिकायतकर्ता के अनुसार, साक्ष्य पर निर्णय लेने का मामला है। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी मध्यस्थ नहीं है और इसलिए इसे किसी भी दर पर आपराधिक दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, विवाद का विषय है।

"शरत बाबू दीगुमर्ती बनाम सरकार (एन. सी. टी. दिल्ली)" अपील के बचाव में आता है?

85. के आधार पर एक तर्क को संबोधित करने की भी आवश्यकता है

शरत बाबू दिगुमार्ती बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। सरकार (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) 24.

24 (2017) 2 एससीसी 18 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 81. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें। - इस अधिनियम के प्रावधान इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित।

87. यह न्यायालय, शरत बाबू (उपरोक्त) मामले में, आई. पी. सी. की धारा 292 और 294 और आई. पी. सी. की धारा 67 के तहत एक शिकायत पर विचार कर रहा था।

अधिनियम। विचार के लिए जो केंद्रीय मुद्दा उठा, वह यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी, जिसे अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया था, पर आईपीसी की धारा 292 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संहिता की धारा 292 किसी भी अश्लील वस्तु को बेचना, किराए पर लेना, वितरित करना आदि को अपराध बनाती है। अश्लीलता से संबंधित अन्य अपराध

वस्तुएँ भी अनुभाग की विषय वस्तु हैं। अदालत ने कहा अधिनियम की धारा 2 (1) (टी) के तहत "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" की परिभाषा के लिए और पाया कि यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित एक प्रश्न था। इसके बाद,

अदालत ने अधिनियम की धारा 67 का उल्लेख किया जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। धारा 67 बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन स्पष्ट कार्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित और दंडित करती है।

88. इस प्रकार, अपीलार्थी के तर्क को इस प्रकार देखा जाता है -

इसके नीचेः

“ 29. हमने उपरोक्त पहलू का उल्लेख किया है क्योंकि डॉ. सिंघवी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी उक्त प्रावधान के तहत संरक्षित है, भले ही पूरे आरोप स्वीकार किए गए हों। उनके अनुसार, एक बार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तथ्य है

यह माना जाता है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 79 आई. पी. एस. ओ. फैक्टो और आई. पी. एस. ओ. ज्यूर लागू होनी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने धारा 79 का आग्रह किया है, क्योंकि यह भाषा इंटरनेट की दुनिया के प्रतिमान का सुझाव देगी और इसे ध्यान में रखेगी जहां प्लेटफार्मों के सेवा प्रदाताओं का नियंत्रण नहीं है

और वास्तव में प्राथमिक के कृत्यों/चूक को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं,

सचेत रूप से विस्तारित नहीं किया गया। श्रेया सिंघल [श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ, (2015) 5 एस. सी. सी. 1: (2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 449], उन्होंने आग्रह किया है कि क्षितिज का विस्तार किया गया है और आई. टी. अधिनियम की धारा 79 का प्रभाव [2019] 17 एस. सी. आर. प्रदान करता है।

व्यक्ति को सुरक्षा क्योंकि प्रावधान को वास्तविक ज्ञान की अवधारणा पर जोर देते हुए पढ़ा गया है। उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, उनके द्वारा आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि आई. टी. अधिनियम की धारा 79 स्वतः ही मध्यस्थों द्वारा प्रकाशन और प्रसारण के इलेक्ट्रॉनिक रूपों की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से गैर-अबाधित खंडों का उपयोग करती है और किसी भी अन्य कानून पर इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, तीन प्रावधानों, अर्थात् धारा 67,79 और 81 पर जोर दिया जाता है और डॉ. सिंघवी के अनुसार, तीन प्रावधान एक समग्र त्रिमूर्ति का गठन करते हैं।

89. इसके बाद, अदालत ने धारा 81 का उल्लेख किया जो हमारे पास है।

सी. टी. डी., और अंत में, अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 32. आई. टी. अधिनियम की धारा 81 में यह भी विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित कुछ भी असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। यदि कथित अपराध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अपराध से संबंधित है तो सभी प्रावधानों की अपनी भूमिका और महत्व होगा। यह ध्यान में रखना होगा कि आई. टी. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। इसमें विशेष प्रावधान हैं। आई. पी. सी. की धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री को अपराध बनाती है, लेकिन एक बार जब अपराध का कोई संबंध हो या

इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ धारा 79 के संरक्षण और प्रभाव को नजरअंदाज और अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है और

अधिनियम को प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि संरक्षण को प्रभावी और विधायी इरादे के लिए सही बनाया जा सके। यह आई. टी. अधिनियम की धारा 81 के पीछे का आदेश है। अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई

आई. टी. अधिनियम लागू होगा।

90. हम शरत बाबू (ऊपर) में दिए गए इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। यह सच है कि अपराध ऐसे समय में किए गए थे जब धारा 79 को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि 14.02.2006 पर संज्ञान लिया गया था। हम पैराग्राफ 37 में तर्क को देखते हैं, जो इस प्रकार हैः

इरादा स्पष्ट है कि एक बाद वाला अधिनियम प्रबल होगा, उसी की व्याख्या उक्त इरादे के अनुसार की जानी चाहिए। हम. आई. टी. अधिनियम की योजना का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं और कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अश्लीलता इस योजना के अंतर्गत आती है

अधिनियम से। हमने आई. टी. अधिनियम की धारा 79 और 81 का भी उल्लेख किया है। एक बार ओवरराइडिंग प्रभाव वाले विशेष प्रावधानों के बाद गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

जो एक विशेष कानून है। कानून में यह तय स्थिति है कि एक विशेष कानून सामान्य और पूर्व कानूनों पर हावी होगा। जब अधिनियम विभिन्न प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता से संबंधित है, तो यह आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत अपराध को शामिल करता है। 91. हम, वास्तव में, ध्यान देते हैं कि इस न्यायालय को स्थापित करने के लिए राजी किया गया था

अधिनियम की धारा 79 पर निर्भरता जिसे 27.10.2009 से प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप जोड़ा गया था। धारा 79 के प्रावधानों को अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से निकाला या संदर्भित नहीं देखा जाता है।

92. धारा 79, इसके प्रतिस्थापन से पहले भी, अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मध्यस्थ को दायित्व से बचाती थी। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, भले ही उसे अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया था। अपराध वह था जो ठीक से धारा 67 के दायरे में आता था जहाँ तक कि अपमानजनक मामला, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित था, जैसा कि परिभाषित किया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि यह पाया गया है कि उसने अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं किया था, धारा 81 को ध्यान में रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत अभियोजन, खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि विशेष प्रावधानों का प्रबल प्रभाव है। यह निर्णय के अनुच्छेद 37 में निहित कानून के कथन की व्याख्या करता है। , “ जब अधिनियम विभिन्न प्रावधानों में अन्य रूपों में अश्लीलता से संबंधित है, तो यह आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत अपराध को शामिल करता है। 93. शरत बाबू (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले का आधार यह था कि जो शामिल था वह अधिनियम के अर्थ के भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था। उक्त मामले में अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया। न्यायालय द्वारा जिस तर्क को बरकरार रखा गया है, वह यह था कि अधिनियम में निहित विशेष प्रावधान एक आपराधिक कार्य को ओवरराइड और कवर करेंगे और वह आई. पी. सी. के जाल से बाहर निकल जाएगा जो उक्त मामले में धारा 292 थी। दोहराने के लिए, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 67 के तहत आरोपमुक्त कर दिया गया था, और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 292 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सका।

94. इस संदर्भ में, हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या अधिनियम में मानहानि के अपराध से संबंधित कोई प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिबद्ध। वास्तव में, इस संबंध में, श्रेया सिंघल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

95. संयोग से, अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील भी कुछ पक्षों की ओर से उक्त मामले में पेश हुए।

और उनके द्वारा उठाए गए तर्कों के सारांश में, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन्होंने तर्क दिया कि आई. पी. सी. और अधिनियम के मौजूदा प्रावधान,

अर्थात्, धारा 67,66 बी, 66 सी, 66 डी, 66 ई और 66 एफ में विभिन्न अपराधों को पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है। ई-मेल द्वारा मानहानिकारक संदेश भेजने के संबंध में, अधिनियम के तहत प्रावधान को धारा 66 ए के रूप में दिखाया गया था और यह तर्क दिया गया था कि आईपीसी की धारा 66 ए के अनुरूप प्रावधान आईपीसी की धारा 500 थी। इस न्यायालय ने इस मामले पर विचार किया और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 45. " मानहानि को दंड संहिता की धारा 499 में इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः " 499. मानहानि। जो कोई भी, बोले गए या पढ़ने के इरादे वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है।

हानि पहुँचाने का इरादा, या यह जानने या विश्वास करने का कारण होना कि

कहा जाता है कि इस तरह के आरोप से ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, सिवाय इसके कि बाद के मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए।

स्पष्टीकरण 1. - यह किसी मृत व्यक्ति पर कुछ भी आरोप लगाने के लिए मानहानि के बराबर हो सकता है, यदि आरोप जीवित होने पर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, और इसका उद्देश्य उसके परिवार या अन्य निकट रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत करना है।

इस तरह के लोग।
स्पष्टीकरण 3. - एक विकल्प के रूप में एक आरोप या

विडंबनापूर्ण रूप से व्यक्त किया जाना मानहानि के बराबर हो सकता है।

स्पष्टीकरण 4. - किसी भी आरोप को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कहा जाता है, जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के आकलन में, नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है।
उस व्यक्ति का, या उसकी जाति या उसके काम के संबंध में उस व्यक्ति के चरित्र को कम करता है, या उस व्यक्ति का श्रेय कम करता है,

या यह विश्वास दिलाता है कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित स्थिति में है, या आम तौर पर अपमानजनक मानी जाने वाली स्थिति में है। ”

46. यह देखा जाएगा कि किसी चीज के मानहानिकारक होने के लिए, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना एक बुनियादी घटक है।

धारा 66-ए का संबंध गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नहीं है।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने के साथ। कुछ बहुत ही अपमानजनक हो सकता है

उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करना। अतः यह स्पष्ट है कि खंड है - मानहानिकारक बयानों के उद्देश्य से नहीं "।

(जोर दिया गया)

96. किसी भी तरह से धारा 66 ए को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है।

इस न्यायालय द्वारा। धारा 66 ए के अलावा, अधिनियम में स्पष्ट रूप से कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मानहानि से संबंधित है। इस तरह मानहानि का विषय आई. पी. सी. की धारा 500 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसलिए श्रेया पर निर्भरता रखी गई

सिंघल (ऊपर) बिना किसी आधार के है।

एस्सुमिंग एपेलेंट एक मध्यवर्ती हैः मानहानि के कानून का एक संक्षिप्त अवलोकन

97. अगला सवाल इस आधार पर आगे बढ़ रहा है कि यह

अपीलार्थी जो अधिनियम के अर्थ के भीतर मध्यस्थ है कि क्या अपीलार्थी को उस मामले में दायित्व के साथ लगाया जा सकता है जहां अपीलार्थी के खिलाफ धारा 500 के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक मामले में कार्यवाही की जा रही है।

आईपीसी। इस संबंध में, आइए हम शिकायतकर्ता की दलीलों पर विचार करें। सबसे पहले यह तर्क दिया जाता है कि गूगल के नियंत्रण में अपीलार्थी की भूमिका

प्रकाशक के रूप में समूह तथ्य का प्रश्न है। यह बताया गया है कि लेखकों द्वारा अपलोड की जा रही सामग्री पर गूगल का नियंत्रण है। इसे अदालत के आदेशों के बिना किसी के संदर्भ के किसी भी सामग्री को हटाने की पूरी स्वतंत्रता है। गूगल स्वयं स्वीकार करता है कि मानहानि एक स्वीकृत आचरण नहीं है और अपने उपयोगकर्ताओं से एक वचन लेता है। गूगल केवल निष्क्रिय प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता होने का दावा नहीं कर सकता है जो मुफ्त का प्रचार कर रहा है।

भाषण देते हैं। यह सामग्री अपलोड करने के अलावा सामग्री बनाने/संपादित करने/संशोधित करने के लिए विभिन्न उपकरण प्रदान करता है। यह तर्क दिया जाता है कि उद्देश्य के लिए मानहानि, गूगल के पास उस समय तक कुछ बचाव हो सकता है जब तक कि उन्हें मानहानिकारक सामग्री के बारे में पता न हो। हालांकि, एक बार जब वे बनाए जाते हैं

मानहानिकारक सामग्री के बारे में जागरूक होने के बाद, उसे जारी रखने की अनुमति देने से, मंच प्रदाता के रूप में नियंत्रण का प्रयोग करने से इनकार करने से, यह मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन के परिणामों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हो जाता है। एक प्रौद्योगिकी दिग्गज होने के नाते, कानून तोड़ने का लाइसेंस नहीं है। यह आई. पी. सी. के तहत दायित्व से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।

98. हमारे सामने अपीलार्थी द्वारा प्रतिवाद करने का प्रयास किया गया है

कि यहाँ तक कि अपलोड किए गए पदों में कथन भी लेते हुए [2019] 17 एस. सी. आर.

प्रथम अभियुक्त द्वारा, यह मानहानि नहीं होगी। मानहानि के अपराध का सार, जैसा कि धारा 499 में परिभाषित किया गया है, में या तो बोले गए या पढ़ने के इरादे वाले शब्द शामिल होंगे या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाने या प्रकाशित करने के इरादे से या यह जानने का कारण होगा कि इस तरह के आरोप से उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, जो मुख्य प्रावधान का पालन करने वाले अपवादों और स्पष्टीकरणों के अधीन है। स्पष्टीकरण II घोषणा करता है कि किसी कंपनी या किसी संघ या व्यक्तियों के संग्रह के संबंध में आरोप लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है। व्याख्या IV इस प्रकार हैः

" स्पष्टीकरण 4. - कहा जाता है कि कोई भी आरोप किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है।

प्रतिष्ठा, जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों के आकलन में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम नहीं करता है, या उसकी जाति या उसके आह्वान के संबंध में उस व्यक्ति के चरित्र को कम नहीं करता है, या उस व्यक्ति के श्रेय को कम करता है, या यह विश्वास दिलाता है कि उस व्यक्ति का शरीर किसी अन्य व्यक्ति में है।

घृणित स्थिति, या आम तौर पर अपमानजनक मानी जाने वाली स्थिति में। ”

99. यह निस्संदेह सच है कि पहला अपवाद आपराधिक दायित्व से छूट देता है, ऐसे बयान जो सच हैं और जो सार्वजनिक भलाई के लिए आवश्यक हैं। वह इस प्रकार हैः

" पहला अपवाद। — सत्य का आरोप जिसे सार्वजनिक रूप से बनाने या प्रकाशित करने की आवश्यकता है। यदि आरोप सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया जाना चाहिए या प्रकाशित किया जाना चाहिए, तो किसी भी व्यक्ति के संबंध में कुछ भी आरोप लगाना मानहानि नहीं है। है या नहीं।

यह जनता की भलाई के लिए है, यह तथ्य का सवाल है।

100. 9 वाँ अपवाद प्रासंगिक हो सकता है। वह इस प्रकार हैः

" नौवां अपवाद। - व्यक्ति द्वारा सद्भावना में लगाए गए आरोप

उसके या दूसरे के हितों की रक्षा करना। यह मानहानि नहीं है

दूसरे के चरित्र पर एक आरोप लगाएं बशर्ते कि

के संरक्षण के लिए सद्भावना में आरोप लगाया जाना चाहिए

इसे बनाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हितों के लिए, या

जनता की भलाई। दृष्टांत

(क) ए, एक दुकानदार, बी से कहता है, जो अपने व्यवसाय का प्रबंधन करता है, "जेड को कुछ भी न बेचें जब तक कि वह आपको तैयार पैसे न दे, क्योंकि

उनकी ईमानदारी के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। ए अपवाद के भीतर है, यदि उसने अपने हितों की रक्षा के लिए सद्भावना से जेड पर यह आरोप लगाया है।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

(ख) ए, एक मजिस्ट्रेट, अपने स्वयं के वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट बनाते समय, जेड के चरित्र पर एक आरोप लगाता है। दसवाँ अपवाद। —

सावधानी का उद्देश्य उस व्यक्ति की भलाई के लिए या सार्वजनिक भलाई के लिए है जिसे भेजा गया है। एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ सद्भावना से चेतावनी देना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि इस तरह की सावधानी का उद्देश्य उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसे यह सूचित किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है, या सार्वजनिक भलाई के लिए। टिप्पणी प्रकाशन के बिना आरोप धारा 499 में शब्द "किसी को बनाता या प्रकाशित करता है"

अभिकथन की व्याख्या शब्दों के रूप में की जानी चाहिए एक-दूसरे के पूरक। प्रकाशन के बिना आरोप लगाने वाला उस धारा के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है; बिलाल अहमद कालू बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, (1997) 7 सुप्रीम टुडे 127 "।

101. हम यह नहीं सोचेंगे कि यह उचित, उचित या उचित होगा।

अदालत के लिए अपीलार्थी की इस दलील को स्वीकार करना कानूनी है कि विचाराधीन पद मानहानि का गठन नहीं करता है। यही कारण है कि इस मामले के तथ्यों में ऐसी कवायद सीमा से बाहर होगी, विशेष रूप से, आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत दायर याचिका में।

स्पष्टीकरण/अपवाद, द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामले होंगे

अदालत।

102. सवाल यह है कि सब कुछ मान लिया जा रहा है।

शिकायतकर्ता के पक्ष में, अर्थात। , कि प्रथम अभियुक्त ने मानहानिकारक सामग्री को मंच पर अपलोड करके पोस्ट किया है और अपीलार्थी उक्त मंच प्रदान करने वाला एक मध्यस्थ है, अपीलार्थी का तर्क है कि तब भी, अपीलार्थी उत्तरदायी नहीं है। हमने भारत सरकार के रुख को भी देखा है। एक मध्यस्थ एक प्रदान करता है मंच। हर दिन लाखों पोस्ट अपलोड किए जाते हैं। हमने "प्रवर्तक" और "प्राप्तकर्ता" शब्दों की परिभाषा पर ध्यान दिया है। अपीलार्थी का मामला यह है कि इस मामले का प्रवर्तक, पहला अभियुक्त, कथित मानहानिकारक सामग्री का लेखक है। एक लेख के विपरीत जो लिखा गया है

व्यक्ति 'क' द्वारा और जो एक समाचार पत्र या प्रकाशन में प्रकाशित होता है जिसे एक व्यक्ति 'ख' द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अपीलार्थी का मामला यह है कि पहला अभियुक्त निर्माता दोनों है, और इसलिए, लेखक और वह प्रकाशक भी है। अपीलार्थी के खिलाफ सब कुछ [2019] 17 एस. सी. आर. के रूप में मानते हुए।

आदेश या एक प्राधिकरण जो इसे अपमानजनक पदों को हटाने का निर्देश देता है। तब तक, अपीलार्थी कानूनी रूप से सामग्री के खिलाफ कदम उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह इंगित करने के अलावा है कि शिकायत करने वाले पक्ष पर यह दायित्व है कि वह मध्यस्थ को यू. आर. एल. प्रदान करके उसकी सहायता करे ताकि मामले का पता लगाया जा सके और कार्रवाई की जा सके। वास्तव में, इस मामले में, यह इंगित किया जाता है कि अपीलकर्ता, एक अच्छे संकेत के रूप में, शिकायत की प्राप्ति पर, मूल कंपनी को लिखा जाता है, जो वास्तव में, मध्यस्थ है और मूल कंपनी ने यू. आर. एल. की मांग करते हुए वापस लिखा है। अपीलार्थी की कार्रवाइयाँ ईमानदार रहे हैं। कथित अपराध को अंजाम देने में इसकी कोई भूमिका नहीं है। यह इस संदर्भ में है कि अपीलकर्ता का तर्क है कि कानून में एक मध्यस्थ को इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए कि क्या कोई सामग्री मानहानि के कानून के उल्लंघन में आती है जिससे इंटरनेट के माध्यम से विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान में एकतरफा हस्तक्षेप होता है। इंटरनेट, यह इंगित किया गया है, सार्वभौमिक है, और भारत सरकार के शब्दों में, जो इस न्यायालय में अपीलार्थी का समर्थन करती है, स्वतंत्र लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक माध्यम है।

विचारों का आदान-प्रदान। मध्यस्थ पर एकतरफा शक्ति का कोई भी प्रदान उसे प्रस्तुत करेगा जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है।

आईपीसी की धारा 499: " बनाना या प्रकाशित करना ": विभाजन

103. यह महत्वपूर्ण है कि हम आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत अपराध के अनिवार्य तत्वों पर ध्यान दें। धारा 499 इस प्रकार है

निम्नलिखित हैः

" 499. मानहानि। जो कोई भी, बोले गए या पढ़ने के इरादे वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है।

नुकसान पहुँचाने का इरादा रखना, या यह जानना या विश्वास करने का कारण होना कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

कहा जाता है कि इस तरह के आरोप से ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, सिवाय उन मामलों के जो इसके बाद अपेक्षित हैं, उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए।

104. उक्त प्रावधान के तहत, कानून देने वाले ने किसी भी आरोप को एक आवश्यक इरादे के साथ खारिज या प्रकाशित किया है याज्ञान या विश्वास करने का कारण, जैसा कि उसमें प्रदान किया गया है, कि आरोप किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, जो मानहानि के अपराध के आवश्यक तत्व हैं। शब्दों से जुड़ने का क्या अर्थ है?

आरोप लगाना "और" आरोप का प्रकाशन "? यह

मोहम्मद में हाल ही में दिए गए एक फैसले में इस सवाल को स्पष्टता के साथ रखा गया है। अब्दुल्ला खान बनाम। प्रकाश के. 25. यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 10. उपरोक्त के विश्लेषण से पता चलता है कि मानहानि का अपराध बनने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ आरोप लगाने की आवश्यकता होती है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में;

((i) ऐसा आरोप या तो लगाया जाना चाहिए।

((क) इरादे से, या

((ख) ज्ञान, या

(ग) विश्वास करने का एक कारण होना

कि इस तरह का आरोप उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। ((ii) आरोप इस प्रकार हो सकता है -

(क) बोले गए या लिखे गए शब्द, या

(ख) संकेत देकर, या

((c) दृश्य प्रतिनिधित्व

आरोप लगाने और प्रकाशन के बीच का अंतर एक ही हैः

यदि 'एक्स' 'वाई' को बताता है कि 'वाई' एक अपराधी है-तो 'एक्स' एक आरोप लगाता है।

यदि 'एक्स' 'जेड' को बताता है कि 'वाई' एक अपराधी है-'एक्स' प्रकाशित करता है

अभिकथन।

धारा 499 के संदर्भ में प्रकाशन का सार इसके अलावा अन्य व्यक्तियों को मानहानिकारक आरोप का संचार है।

जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया जाता है। [खीमा नंद बनाम। सम्राट, 1936 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 307: 1937 श्री एल. जे. 806; अमर सिंह बनाम। के. एस. बदालिया, 1964 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 186: (1965) 2 क्री एलजे 693] "

आई. पी. सी. की धारा 499-आपराधिक स्वतंत्रता का निषेध? 105. हम संयोग से एम. सी. वर्गीज बनाम में रिपोर्ट किए गए इस संदर्भ में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर भी ध्यान दे सकते हैं। टी. जे. पूनान और

एक और 2 6। उसमें अपीलार्थी की बेटी, जिसका विवाह प्रत्यर्थी (टी. जे. पूनान) से हुआ था, को अपने पति से कुछ पत्र प्राप्त हुए।

पति और पत्नी के बीच संचार, यह मानहानि के बराबर नहीं था क्योंकि कानून की नजर में कोई प्रकाशन नहीं था, क्योंकि पति और पत्नी एक हैं। उन्होंने यह भी माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 122 के तहत पति-पत्नी के बीच संचार का विशेषाधिकार था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलट दिया, जिसने मजिस्ट्रेट के दृष्टिकोण को बरकरार रखा था, हालांकि मध्यावधि में मजिस्ट्रेट के विचार का पक्ष नहीं लिया गया था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश। इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि कानून की नजर में पति और पत्नी एक हैं, इस सिद्धांत को हमारी प्रणाली के तहत पूरी ताकत से नहीं अपनाया गया है और निश्चित रूप से हमारे आपराधिक मामले में नहीं।

न्यायशास्त्र (पैराग्राफ 7 देखें)। इसके बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 10. यह याद रखना चाहिए कि दंड संहिता, 1860 उन अपराधों से संबंधित कानून को पूरी तरह से संहिताबद्ध करती है जिनसे वह संबंधित है और छूट का आविष्कार करने के लिए सामान्य कानून के नियमों का सहारा नहीं लिया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं हैं।

11. तिरुवेंगड्डा मुदाली बनाम। मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ त्रिपुरासुंदरी अम्मल [आई. एल. आर. 49 मैड 728] ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 499 के अपवादों को इस प्रकार माना जाना चाहिए: जिन मामलों को वे
कवर करने का इरादा रखते हैं और कानून में निहित मामलों में अपवाद के नए आधार जोड़ने के लिए अंग्रेजी सामान्य कानून का सहारा लिया जा सकता है। अदालत में दायर अपनी शिकायत में अपमानजनक बयान देने वाला व्यक्ति मानहानि के लिए आपराधिक कार्यवाही में पूरी तरह से संरक्षित नहीं है, क्योंकि

26 (1969) 1 एससीसी 37 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

आठवें अपवाद और धारा 499 के चित्रण के तहत बयान केवल तभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जब वे सद्भावना से किए जाते हैं। इसलिए इस प्रस्ताव के लिए अधिकार है कि दंड संहिता, 1860 के तहत एक अधिनियम की आपराधिकता का निर्धारण करने में अदालतें विशेष अपवादों के दायरे का विस्तार नहीं करेंगी

अंग्रेजी सामान्य कानून के लिए विशिष्ट नियम कि पति और

पत्नी को एक माना जाता है।

106. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने अंतिम राय व्यक्त नहीं की।

ऐसा तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति मानहानिकारक आरोप लगाता है, जैसा कि मोहम्मद में समझाया गया है। अब्दुल्ला खान (उपरोक्त) में उस व्यक्ति को आरोपित किया जाना शामिल होगा जिसके बारे में आरोपित किया गया है। दूसरी ओर, एक प्रकाशन तब किया जाता है जब आरोप उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को सूचित किया जाता है जिनके बारे में मानहानिकारक आरोप लगाया जाता है। एक व्यक्ति, जो मानहानिकारक आरोप लगाता है, आरोप को प्रकाशित भी कर सकता है और इस प्रकार मानहानिकारक आरोप का निर्माता और प्रकाशक हो सकता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया होगा

बयान लेकिन वह इसे प्रकाशित करता है। 108. इस मामले में, अपीलार्थी का मामला यह प्रतीत होता है कि यह निर्विवाद है कि यह पहला प्रतिवादी है जिसने न केवल लिखा है

आरोप वाले बयान जो कथित रूप से मानहानिकारक हैं लेकिन उन्होंने ही इसे प्रकाशित किया है। इस संबंध में, हमारे समक्ष पक्षकारों ने भारत के अलावा अन्य न्यायालयों से उत्पन्न होने वाले मामलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

इंग्लैंड में मानहानि अधिनियमः उसी के तहत कुछ निर्णयों पर एक नज़र

109. इससे पहले कि हम मामले के कानून पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, यूनाइटेड किंगडम में निहित मानहानि के कानून के बारे में एक पक्षी के अवलोकन की सराहना की जा सकती है। 1952 का मानहानि अधिनियम, जैसा कि इसमें निहित है 1996 के मानहानि अधिनियम द्वारा धारा 4,7,8,9 (2) और 9 (3) और धारा 16 (2) और 16 (3) को निरस्त कर दिया गया। 2013 का मानहानि अधिनियम

कानून में और संशोधन करते हुए यह घोषणा की गई कि कोई बयान मानहानिकारक नहीं है जब तक कि इसके प्रकाशन ने दावेदार की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान नहीं पहुँचाया है या होने की संभावना है, जो लाभ के लिए व्यापार करने वाले निकाय के मामले में, यह स्पष्ट किया गया था कि गंभीर नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक कि [2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गंभीर वित्तीय नुकसान या इस तरह के नुकसान की संभावना का उपयोग किया गया। सच्चाई।

एक रक्षा के रूप में। कुछ बचाव पेश किए गए थे।

प्रचालक सभक संबंधमे लोकहितक विषय प्रस्तुत कयल गेल छल।

. धारा 5 अधिनियमित की गई थी, जो इस प्रकार हैः

वेबसाइटों के संचालक

(1) यह धारा वहां लागू होती है जहां मानहानि के लिए कार्रवाई की जाती है।

के संबंध में एक वेबसाइट के संचालक के खिलाफ लाया गया

वेबसाइट पर एक बयान जारी किया गया।

(2) ऑपरेटर के लिए यह दिखाना एक बचाव है कि यह ऑपरेटर नहीं था जिसने वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया था। (3) बचाव पक्ष पराजित हो जाता है यदि दावेदार यह दिखाता है कि

(क) दावेदार के लिए पहचान करना संभव नहीं था

बयान पोस्ट करने वाला व्यक्ति,

(ख) दावेदार ने संचालक को शिकायत का नोटिस दिया।

कथन के संबंध में, और

(ग) प्रचालक नोटिस का जवाब देने में विफल रहा

किसी भी प्रावधान के अनुसार शिकायत विनियमों में निहित।

(4) उप-धारा (3) (ए) के प्रयोजनों के लिए, दावेदार के लिए किसी व्यक्ति की "पहचान" करना केवल तभी संभव है जब दावेदार के पास उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त जानकारी हो।

व्यक्ति।

(5) नियम हो सकते हैं -

(क) शिकायत की सूचना के जवाब में वेबसाइट के संचालक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में प्रावधान करना (जिसमें विशेष रूप से बयान पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान या संपर्क विवरण से संबंधित कार्रवाई और उसे हटाने से संबंधित कार्रवाई शामिल हो सकती है);

(ख) लेने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने का प्रावधान करें।

ऐसी किसी भी कार्रवाई का;

(ग) एक समय सीमा की समाप्ति के बाद की गई कार्रवाई पर विचार करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करने का प्रावधान करें।

जैसा कि समाप्ति से पहले लिया गया था; गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

((घ) इसके प्रयोजनों के लिए कोई अन्य प्रावधान करना।

अनुभाग।

के आधार पर किए गए किसी भी प्रावधान के अधीन

उप-धारा (7), शिकायत की सूचना एक ऐसी सूचना है जो

(क) शिकायतकर्ता का नाम निर्दिष्ट करता है, (ख) संबंधित कथन निर्धारित करता है और बताता है कि क्यों

यह शिकायतकर्ता की मानहानिकारक है,

(ग) निर्दिष्ट करता है कि वेबसाइट पर कथन कहाँ था

पोस्ट किया, और

((घ) इसमें ऐसी अन्य जानकारी होती है जो निर्दिष्ट की जा सकती है।

नियमों में।

विनियम इस बारे में प्रावधान कर सकते हैं कि

ऐसी परिस्थितियां जिनमें कोई सूचना जो शिकायत की सूचना नहीं है, इस धारा या इसके तहत किए गए किसी प्रावधान के प्रयोजनों के लिए शिकायत की सूचना के रूप में मानी जानी है।

इस धारा के तहत विनियम

(क) अलग-अलग के लिए अलग-अलग प्रावधान कर सकते हैं।

परिस्थितियाँ;

(ख) वैधानिक साधन द्वारा बनाए जाने हैं।

इस धारा के तहत विनियमों वाला एक सांविधिक लिखत तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि लिखत का एक मसौदा संसद के प्रत्येक सदन के प्रस्ताव द्वारा रखा और अनुमोदित नहीं किया गया हो।

इस धारा में "विनियमों" का अर्थ है राज्य सचिव द्वारा बनाए गए विनियम।

इस धारा के तहत बचाव पक्ष पराजित हो जाता है यदि दावेदार यह दिखाता है कि वेबसाइट के संचालक ने नियुक्ति के संबंध में दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है।

संबंधित कथन।

इस धारा के तहत बचाव केवल इस तथ्य के कारण पराजित नहीं होता है कि वेबसाइट का संचालक इस पर दूसरों द्वारा पोस्ट किए गए बयानों को नियंत्रित करता है। "[2019] 17 एस. सी. आर.

110. अन्य प्रावधान भी हैं जिन्हें हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम, निस्संदेह, अन्य बातों के साथ-साथ, मानहानि अधिनियम, 2013 की धारा 15 में निहित "प्रकाशित करें" शब्द के अर्थ पर भी ध्यान दे सकते हैंः

" 15. ..... " "प्रकाशित" और "प्रकाशन", एक बयान के संबंध में, के कानून के उद्देश्यों के लिए उनका अर्थ है

मानहानि आम तौर पर; "

111. यह अधिनियम केवल इंग्लैंड और वेल्स पर लागू होना था। कुछ प्रावधान स्कॉटलैंड पर भी लागू होने थे।

112. तथापि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मानहानि अधिनियम, 1996 और वास्तव में मानहानि अधिनियम, 1952 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

113. मानहानि अधिनियम, 1996 की धारा 20 (2) में यह कहा गया है कि उक्त अधिनियम में कुछ भी आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को प्रभावित नहीं करता है।

मानहानि अधिनियम, 1952 में भी ऐसा ही प्रावधान है। मानहानि अधिनियम, 1952 की धारा 17 (2) ने यह भी घोषणा की कि अधिनियम में कुछ भी नहीं है।

आपराधिक मानहानि से संबंधित कानून को प्रभावित किया। 114. हालाँकि, आपराधिक मानहानि को कोरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट, 2009 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

115. शिकायतकर्ता बायर्न बनाम में निर्णय का उल्लेख करेगा। डीन 27 के साथ-साथ पायम तमीज बनाम। गूगल Inc.28। दूसरी ओर, अपीलार्थी ने बंट बनाम में क्वींस बेंच के फैसले पर भरोसा किया। टिली2 9. प्रतिवादी द्वारा गॉडफ्रे बनाम में निर्णय का भी संदर्भ है। डेमन इंटरनेट लिमिटेड 3 0. आइए अब हम इन मामलों को कालानुक्रमिक क्रम और उस संदर्भ में लेते हैं जिसमें मामला उत्पन्न हुआ और निर्णय लिया गया।

116. बायर्न (ऊपर) में तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। शिकायतकर्ता एक गोल्फ क्लब का सदस्य था। अभियुक्त मालिक थे।

और महिला प्रतिवादी भी सचिव थी। क्लब के नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, क्लब में किसी भी नोटिस या तख्ती को पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

सचिव की सहमति के बिना परिसर। क्लब के सदस्यों के उपयोग के लिए प्रतिवादियों द्वारा कुछ स्वचालित जुआ मशीनें रखी गई थीं। एक शिकायत पर क्लब परिसर से मशीनों को हटा दिया गया। आरोप लगाते हुए कि एक मानहानिकारक कविता डाली गई थी

27 (1937) 1 के. बी 818

28 (2013) ईडब्ल्यूसीए सीबी 68

30 (2001) क्यू. बी. 201 गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

क्लब के सदस्यों के प्रति निष्ठा। विद्वत न्यायाधीश, जिन्होंने हर्जाने के लिए दीवानी कार्रवाई सुनी, ने वादी को फैसला सुनाया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस मामले की शिकायत की गई थी वह मानहानिकारक था। उन्होंने आगे पाया कि चूंकि प्रतिवादियों ने नोटिस को क्लब की दीवारों पर रहने की अनुमति दी, जिस पर प्रतिवादियों का पूरा नियंत्रण है, इसलिए इसका प्रकाशन उनकी मंजूरी से किया गया था और उनके पास था, इसलिए, उस मानहानि को प्रकाशित किया। इस सवाल के संबंध में कि क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रकाशन किया गया था, अदालत ने बहुमत से यह विचार लिया कि प्रकाशन किया गया था। ग्रीर एल. जे. निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" ..... यह एक स्वामित्व वाला क्लब था। एक स्वामित्व क्लब और एक साधारण क्लब के बीच अंतर यह है कि एक स्वामित्व क्लब में मालिक या मालिक क्लब के कब्जे में रहते हैं। दोनों प्रतिवादी क्लब के पट्टेदार हैं और वे हैं

क्लब परिसर पर कब्जा करने वाले, और दीवारें उनकी दीवारें हैं, और मेरे विचार में उन्होंने अपनी दीवारों पर एक मानहानिकारक बयान लगाने और अपनी दीवारों पर ऐसी स्थिति में रहने की अनुमति दी जिसमें क्लब में आने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पढ़ सके। निस्संदेह यह न केवल उन लोगों द्वारा पढ़ा गया होगा जो क्लब के सदस्य थे, बल्कि उन लोगों द्वारा भी पढ़ा गया होगा जो क्लब के सदस्य नहीं थे, और जो केवल संभवतः किसी सदस्य के साथ पीने या किसी प्रकार का खेल खेलने के लिए आए थे।

घर से गुज़रता है। क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि उस पोस्टर को अपने घर की बगीचे की रेल पर लटकते रहने की अनुमति देकर घर का मालिक उस पोस्टर के प्रकाशन में भाग ले रहा था उनके घर से गुजरने वाले लोग, जब दुनिया का सबसे सरल ऑपरेशन, अर्थात् जिस रस्सी से पोस्टर को रेल पर लटका दिया गया था, उसे काटना और पोस्टर को दूर ले जाना, उस समय के पोस्टर को हानिरहित बना देता? मेरे निर्णय में इस प्रतिष्ठान के दो मालिक मानहानिकारक बयान की अनुमति देते हैं, यदि यह [2019] 17 एस. सी. आर. है।

मानहानिकारक, उनकी दीवार पर आराम करने के लिए और इसे हटाने के लिए नहीं,

यह ज्ञान कि उन्हें यह नहीं हटाकर प्राप्त हुआ होगा

यह उन लोगों द्वारा पढ़ा जाएगा जिन्हें यह इस तरह से सूचित करेगा जिसका अर्थ था, हम इसके प्रकाशन में भाग ले रहे थे। .....

117. स्लेसर एल. जे. ने एक अलग राय लिखी जिसमें उन्होंने

कि शिकायतकर्ता पुरुष के खिलाफ प्रकाशन दिखाने में विफल रहा था

दांता। महिला प्रतिवादी के संबंध में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

महिला प्रतिवादी के संबंध में मुझे लगता है कि यह कहा जा सकता है

हालाँकि यह शायद प्रकाशन के साक्ष्य का विस्तार कर रहा है

बल्कि किसी भी मामले में अतीत में पहले से कहीं अधिक किया गया है

जो मुझे पता चला है कि कुछ था

महिला प्रतिवादी की ओर से प्रकाशन का साक्ष्य। .....

118. ग्रीर एल. जे., आगे इस प्रकार आयोजित किया गयाः

" लिखित या मुद्रित कोई सूचना या तख्ती नहीं लगाई जाएगी।

सचिव की सहमति के बिना क्लब परिसर ", और उसे

सबूत इस आशय का है कि वह जानती थी कि यह कथित मानहानि है

क्लब की दीवार पर रखा गया था। उसका विचार था कि वह

इसमें कोई नुकसान नहीं देख सकता था। उसने कहाः " मैंने उसे पढ़ा। मुझे ऐसा लगा

कोई किसी से नाराज था। " मुझे लगता है कि

इसे पढ़ें, और क्लब की दीवारों पर प्रभुत्व रखने के लिए जहाँ तक नोटिसों की पोस्टिंग का संबंध था, यह ठीक से कहा जा सकता था

उस तारीख के बाद की परिस्थितियाँ जब उसे पता था कि प्रकाशन बनाया गया था। ” "

119. ग्रीन एल. जे. ने यह विचार रखा कि इसके सबूत थे

दोनों प्रतिवादियों द्वारा आरोप पत्र। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" अब, प्रकाशन, प्रकाशन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर,

बेशक, तथ्य का सवाल है, और यह इस पर निर्भर करना चाहिए

प्रत्येक मामले में परिस्थितियाँ चाहे प्रकाशन ने लिया हो या नहीं

जगह। यह कहा जाता है कि एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में जहां का कार्य

जिस व्यक्ति पर मानहानि प्रकाशित करने का आरोप है, वह कोई नहीं है

सकारात्मक कार्य, लेकिन केवल कुछ करने से बचना रहा है

कुछ परिस्थितियों में एक व्यक्ति, हटाने से परहेज करके या मानहानिकारक बात को मिटाना, किसी भी गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबद्ध नहीं करना है।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

बिल्कुल भी प्रकाशन। हो सकता है कि अन्य परिस्थितियों में वह ऐसा कर रहा हो। मुझे जो परीक्षा दिखाई देती है वह यह हैः सभी तथ्यों का ध्यान रखते हुए

मामला उचित अनुमान है कि हटाने से नहीं

मानहानिकारक मामला प्रतिवादी ने वास्तव में खुद को जिम्मेदार ठहराया उस स्थान पर इसकी निरंतर उपस्थिति के लिए जहाँ इसे रखा गया था?

मैं एक ऐसे मामले का उदाहरण दे सकता हूं जो एक पर पड़ेगा।

रेखा का पक्षः मान लीजिए कि किसी के पास एक मुर्गा और एक छेनी है

किसी के घर के पत्थर के काम पर कुछ नक्काशी

इसे नए पत्थर के काम से बदल दें। इस तरह के मामले में ऐसा प्रतीत होता है मेरे लिए कि यह बहुत मुश्किल होगा, यदि वास्तव में असंभव नहीं है,

यह निष्कर्ष निकालें कि घर के मालिक की इच्छा

उस शिलालेख की निरंतर उपस्थिति से कुछ भी लेना-देना था उसके पत्थर के काम पर। ऐसी स्थिति जो इसे हटाने के लिए होगी

बहुत बड़ी परेशानी की आवश्यकता होती है और खर्च पर्याप्त होगा

इस तरह के किसी भी आक्षेप का जवाब दें।

दूसरी ओर आपके पास एक मामला है जैसे कि वर्तमान जहाँ

इस विशेष सूचना को हटाना पूरी तरह से सरल था और

बिना किसी परेशानी के करना आसान है। अभियुक्तों,

इसे हटाने की शक्ति और इसे हटाने का अधिकार होना, और

बिना किसी कठिनाई के इसे करने में सक्षम होना, और यह जानना कि

क्लब के सदस्य जब कमरे में आते तो देखते

यह, मुझे लगता है कि इसे छोड़ने के लिए जानबूझकर चुना जाना चाहिए

वहाँ। उचित अनुमान, इसलिए, उन परिस्थितियों में यह

मुझे ऐसा लगता है कि वे इसे जारी रखने के लिए सहमति देने वाले पक्ष थे

उस स्थान पर उपस्थिति जहाँ इसे रखा गया था। ऐसा होने पर

मुझे लगता है कि उन्हें इसकी सहमति के लिए लिया जाना चाहिए

इसे देखने वाले प्रत्येक सदस्य को प्रकाशित करें। ..... ' 99

(जोर दिया गया)

120. गॉडफ्रे (ऊपर) में, मामला एक दीवानी कार्रवाई थी। द.

लैनत भौतिकी, गणित और कंप्यूटर में व्याख्याता थे।

सी. ई. इंग्लैंड में निवासी। प्रतिवादी एक इंटरनेट सेवा थी

डेर। 13 जनवरी, 1997 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक

संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार समूह एस. ओ. सी. में। संस्कृति। थाई और दुकानें जो थी

प्रतिवादी द्वारा एड। लगभग एक पखवाड़े के लिए, पोस्टिंग थी

अपने ग्राहकों द्वारा पढ़ा जा सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह अन्य बातों के साथ-साथ उसके लिए मानहानिकारक है। यह कथित तौर पर [2019] 17 एस. सी. आर. से निकलता है।

हालाँकि शिकायतकर्ता का नाम गलत लिखा गया था। शिकायतकर्ता ने इसे जालसाजी होने का दावा किया। उन्होंने प्रतिवादी कंपनी के प्रबंध निदेशक को एक पत्र भेजा कि पोस्टिंग एक जालसाजी है और उसी की जिम्मेदारी को अस्वीकार करते हुए, उन्होंने इसे सर्वर से हटाने का अनुरोध किया। प्रतिवादी द्वारा यह विवादित नहीं था कि वह अनुरोध प्राप्त करने के बाद पद को मिटा सकता था। इसके बाद न्यायालय ने शासी कानून के आधार पर मामले की जांच की। , मानहानि अधिनियम, 1996। निम्नलिखित चर्चा प्रासंगिक है:

" कानून.
शासी क़ानून मानहानि अधिनियम 1996 है। धारा 1,

जिसका शीर्षक "प्रकाशन के लिए उत्तरदायित्व" है, प्रदान करता है:

(1) मानहानि की कार्यवाही में एक व्यक्ति के पास बचाव होता है यदि वह दिखाता है

कि-(क) वह इसके लेखक, संपादक या प्रकाशक नहीं थे। बयान ने शिकायत की, (बी) उन्होंने इसके प्रकाशन के संबंध में उचित सावधानी बरती, और (सी) उन्हें पता नहीं था, और विश्वास करने का कोई कारण नहीं था, कि उन्होंने जो किया वह प्रकाशन का कारण बना या योगदान दिया।

मानहानिकारक बयान "।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बचाव पक्ष के सफल होने के लिए (ए) और (बी) और (सी) को प्रतिवादी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। खंड 1

जारी है:

" (2) इस उद्देश्य के लिए. 'प्रकाशक' के निम्नलिखित अर्थ हैं, जिन्हें आगे उप-धारा (3) में समझाया गया है। 'प्रकाशक'
इसका अर्थ है एक वाणिज्यिक प्रकाशक, अर्थात एक व्यक्ति जिसका व्यवसाय जनता को सामग्री जारी कर रहा है, या जनता का एक वर्ग, जो

उस क्रम में कथन वाली सामग्री जारी करता है

व्यवसाय।

" (3) किसी व्यक्ति को लेखक, संपादक या संपादक नहीं माना जाएगा।

एक बयान का प्रकाशक यदि वह केवल शामिल है-(क) बयान वाली मुद्रित सामग्री के मुद्रण, उत्पादन, वितरण या बिक्री में. (ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को संसाधित करने, उसकी प्रतियां बनाने, वितरित करने या बेचने में या जिस पर बयान दर्ज किया गया है, या किसी उपकरण, प्रणाली को संचालित करने या प्रदान करने में, या

सेवा जिसके माध्यम से कथन प्राप्त किया जाता है, प्रतिलिपि बनाई जाती है, वितरित किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

संचार प्रणाली तक पहुँच के प्रचालक या प्रदाता

जिसके माध्यम से कथन प्रेषित किया जाता है, या किया जाता है

उपलब्ध, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर उसका कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

पैराग्राफ (ए) से (ई) के भीतर नहीं होने वाले मामले में अदालत के पास हो सकता है

उन प्रावधानों को यह तय करने में सादृश्य के रूप में देखते हुए कि क्या

एक व्यक्ति को लेखक, संपादक या प्रकाशक माना जाता है।

बयान।

“ (5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारित करने में कि क्या

व्यक्ति ने उचित देखभाल की, या यह मानने का कारण था कि क्या

उसने मानहानिकारक के प्रकाशन का कारण बना या उसमें योगदान दिया

बयान को ध्यान में रखा जाएगा-(ए) उसकी सीमा

कथन की सामग्री या निर्णय के लिए जिम्मेदारी

इसे प्रकाशित करें, (ख) प्रकाशन की प्रकृति या परिस्थितियाँ, और

(ग) लेखक, संपादक या संपादक का पिछला आचरण या चरित्र।

प्रकाशक "।

मेरे फैसले में प्रतिवादी स्पष्ट रूप से प्रकाशक नहीं थे

के अर्थ के भीतर वादी की मानहानिकारक पोस्टिंग

धारा 1 (2) और (3) निर्विवाद रूप से अपना लाभ उठा सकते हैं। धारा 1 (1) (ए)। हालाँकि अभियुक्तों को सामना करने में कठिनाई

धारा 1 (1) (बी) और (सी) है। 17 जनवरी 1997 के बाद, प्राप्ति के बाद वादी के फ़ैक्स में से, प्रतिवादियों को मानहानिकारक के बारे में पता था

पोस्ट किया लेकिन इसे अपने यूज़नेट समाचार से नहीं हटाने का फैसला किया

सर्वर। मेरे निर्णय में यह प्रतिवादियों को एक में रखता है अपूरणीय कठिनाई ताकि वे इसका लाभ न उठा सकें

धारा 1 द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा।

(जोर दिया गया)

121. अदालत ने बायर्न (ऊपर) में फैसले का पालन करने का इरादा किया

एल्ड इस प्रकार हैः

" ..... प्रतिवादियों ने एस. ओ. सी. को स्टोर करने का फैसला किया। संस्कृति। थाई पोस्टिंग्स अंदर
उनके कंप्यूटर। इस तरह की पोस्टिंग उस पर देखी जा सकती है
समाचार समूह। प्रतिवादी मिटा सकते थे और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया।
प्राप्ति के लगभग एक पखवाड़े बाद। ”

(जोर दिया गया)

122. अदालत अंततः यह निष्कर्ष निकालती है कि वादी को समन भेजा जाता है
रक्षा के कुछ हिस्सों को कोई स्थायी रक्षा का खुलासा नहीं करने के रूप में जो
o प्रभाव है कि सामान्य कानून में, वे के प्रकाशक नहीं थे
और पोस्ट कर रहे हैं। वादी के समन को बाहर निकालने की अनुमति दी गई थी
बर्फ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

123. अब हम 10.03.2006 पर तय किए गए बंट (सुप्रा) की ओर रुख कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय के क्वीन बेंच डिवीजन द्वारा। दीवानी कार्यवाही में प्रतिवादी 4 से 6 इंटरनेट सेवा प्रदाता थे। सेवा प्रदाताओं ने सिविल प्रक्रिया नियम (सीपीआर) 3.4 (2) और (सीपीआर) 24 के तहत उच्च न्यायालय में एक आदेश के लिए आवेदन किया। वादी का दावा इस आरोप पर आधारित था कि व्यक्तिगत प्रतिवादियों ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से अपमानजनक शब्दों को प्रकाशित किया था। पैराग्राफ 7 में, अदालत ने पक्षों द्वारा भरोसा किए गए बचाव पर विचार करना आवश्यक समझा, जो वास्तव में सीपीआर भाग 24 के उद्देश्य के लिए स्वीकार्य था। अदालत ने फैसले का उल्लेख किया

गॉडफ्रे (ऊपर)। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय भी दिया:

" 15. प्रकाशन तथ्य का प्रश्न है, और यह इस पर निर्भर होना चाहिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ चाहे प्रकाशन ने लिया हो या नहीं

स्थानः देखें ई जी बर्न बनाम डीन [1937] 1 KB 818,837-838, प्रति

ग्रीन एलजे। जिन समानताओं को अनुचित माना गया था

गॉडफ्रे बनाम डेमन इंटरनेट लिमिटेड को अभी तक बरकरार रखा जा सकता है जहाँ

तथ्य ज्ञान के साथ आगे के संचरण का खुलासा नहीं करते हैं।

मानहानिकारक सामग्री। जैसा कि डॉ. कॉलिन्स ने द लॉ में कहा है

मानहानि और इंटरनेट, पैरा 15.43:

डाक सेवाओं और टेलीफोन वाहकों के अनुरूप महसूस करें कि वे बिना किसी खेल के संचार की सुविधा प्रदान करते हैं

उनकी सामग्री के निर्माण या तैयारी में भाग लेना, और लगभग

हमेशा सामग्री के वास्तविक ज्ञान के बिना।

इस तरह के दृष्टिकोण से पता चलता है कि सामान्य कानून में

ऐसे मध्यस्थों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए

प्रकाशन। वास्तव में, यह दृष्टिकोण के अनुरूप है

लुन्नी में जहाँ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक

न तो चाहता है और न ही उसकी सामग्री का पर्यवेक्षण करने की उम्मीद करता है अभिदाता की बातचीत "।

XXX

X

XX

XXX

शब्दों के प्रकाशन के लिए सामान्य कानून के तहत किसी पर भी जागरूकता की एक डिग्री का प्रदर्शन करना आवश्यक है या कम से कम

सामान्य जिम्मेदारी की धारणा, जैसे कि लंबे समय से गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

सम्पादकीय उत्तरदायित्व के संदर्भ में मान्यता प्राप्त। जैसा कि लॉर्ड मॉरिस ने मैकलियोड बनाम सेंट ऑबिन [1899] एसी 549,562 में टिप्पणी कीः " एक मुद्रक और प्रकाशक प्रकाशित करने का इरादा रखता है, और इसलिए इरादा रखने वाला एक औचित्य के रूप में अनुरोध नहीं कर सकता है कि वह सामग्री को नहीं जानता था। द. इस मामले में अपीलार्थी का कभी भी प्रकाशित करने का इरादा नहीं था। " उस मामले में संबंधित प्रकाशन में अगले दिन वापस करने के लिए एक समाचार पत्र की एक अपठित प्रति सौंपना शामिल था। यह माना गया कि वहाँ

उस "प्रकाशन" के लिए कानूनी जिम्मेदारी थोपने के लिए पर्याप्त जागरूकता या इरादा नहीं था।

23. बेशक, मानहानिकारक प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होने के लिए हमेशा मानहानिकारक सामग्री के बारे में जागरूक होना आवश्यक नहीं है, फिर भी इसका कानूनी महत्व कम है। ज्ञान की कमी के बावजूद संपादकों और प्रकाशकों को अक्सर जिम्मेदारी के साथ तय किया जाता है। दूसरी ओर, किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रासंगिक शब्दों के प्रकाशन की प्रक्रिया में ज्ञान की भागीदारी होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक खेल खेलता है प्रक्रिया में निष्क्रिय वाद्य भूमिका। (इस संदर्भ में एम्मेन्स बनाम पॉटल (1885) 16 क्यू. बी. डी. 354,357, प्रति लॉर्ड एशर एम. आर. भी देखें।)

XXX

XXX

XXX

30. जहाँ तक दावेदार गॉडफ्रे डेमन में समर्थन चाहता है

इंटरनेट लिमिटेड [2001] क्यू. बी. 201 में स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण अंतर हैं। न्यायाधीश मोरलैंड ने उस मामले में आई. एस. पी. को 1996 के अधिनियम की धारा 1 के तहत सुरक्षा से वंचित कर दिया क्योंकि उसने श्री गॉडफ्रे का पत्र प्राप्त होने के बाद उसी मानहानिकारक बयानों का प्रकाशन जारी रखा, जिसमें उन्हें यूज़नेट समाचार सर्वर से हटाने के लिए कहा गया था। यहाँ, इसके विपरीत,

दावेदार अलग-अलग नियुक्ति पर निर्भर है। इनमें बैटरी का कोई संदर्भ नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी और "किडी पोर्न" के सुझाव हैं। इन शब्दों के प्रकाशन में एओएल द्वारा किसी भी ज्ञानपूर्ण भागीदारी का सुझाव देने के लिए कोई अनुरोधित तथ्य नहीं हैं। 31. सुश्री फिलिप्स तदनुसार प्रस्तुत करती हैं कि एक आई. एस. पी. को एक प्रकाशक के रूप में उत्तरदायी नहीं होना चाहिए (विशेष रूप से उस साइट पर पोस्टिंग के लिए जिसे वह होस्ट नहीं करता है) केवल इसलिए कि इसे पहले पूरी तरह से असंबंधित कथित रूप से मानहानिकारक बयानों के बारे में बताया गया है, जरूरी नहीं कि उसी लेखक द्वारा भी। यह एक शक्तिशाली तर्क है जो प्रासंगिक है, जैसा कि मैंने कहा है, दोनों [2019] 17 एस. सी. आर. के मौलिक मुद्दे के लिए।

सामान्य कानून में और वैधानिक बचाव के लिए प्रकाशन जो l

इस पर बाद में विचार करना होगा।

XXX

XXX

XXX

36. सभी परिस्थितियों में मैं यह मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं कि

दावेदार के यह स्थापित करने में सक्षम होने की कोई यथार्थवादी संभावना नहीं है कि

निगमित प्रतिवादियों में से कोई भी, किसी भी सार्थक अर्थ में,

जानबूझकर संबंधित प्रकाशनों में भाग लिया। उसका अपना। अभिवादित मामला किसी भी स्थिति में इस संबंध में दोषपूर्ण है। अधिक

आम तौर पर, मैं कानून के मामले के रूप में यह मानने के लिए भी तैयार हूं कि आई. एस. पी. जो सुविधा प्रदान करने में एक निष्क्रिय भूमिका से अधिक कुछ नहीं करता है

इंटरनेट पर पोस्टिंग को प्रकाशक नहीं माना जा सकता है

सामान्य कानून। मैं दावेदार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा कि

कानून जिसे विवादित मुद्दों को हल किए बिना निर्धारित किया जा सकता है वास्तव में "।

(जोर दिया गया)

124. इसके बाद, न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक को भी संदर्भित किया

नर्स निर्देश (विनियम), 2002। और भी आगे, न्यायालय ने संदर्भित किया

निदेशक के गवाह के बयान (तकनीकी और ए. ओ. एल. में):

“ 53. उस साक्ष्य के लिए कोई विशेषज्ञ चुनौती नहीं है, और मेरे पास है

इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि यह वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। फिर कैसे?

इन विनियमों के तहत चौथे और पांचवें प्रतिवादियों द्वारा? के रूप में मैंने कहा है, वह "सरल तर्क" पर निर्भर करता है। वह किसी पर निर्भर नहीं है।

विशेषज्ञ की रिपोर्ट। इसलिए मैं उनके मामले की ओर मुड़ता हूं जैसा कि प्रकाश में स्पष्ट किया गया है।

ग्रे जे के आदेश से।

54. संशोधित विवरणों के पैरा 19 पर विचार करना आवश्यक है।

" (i) ग्राहक को लीज्ड लाइन कनेक्शन प्रदान करने वाले आई. एस. पी. के पास है मानहानि अधिनियम दोनों के तहत एक बहुत अच्छा तर्क

1996 और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य निर्देश 2002 भी कि यह है

एक 'माध्यम' से अधिक नहीं, कि इसका कोई ज्ञान या नियंत्रण नहीं है

उस 'नाली' से क्या गुजरता है, और यह कि पूरा गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

उस 'नाली' से क्या गुजरता है, इसकी जिम्मेदारी उस ग्राहक पर निर्भर करती है जिसने इसे खरीदा है, क्योंकि यह ग्राहक है न कि आई. एस. पी. जो उस 'नाली' के लिए 'द्वारपाल' के रूप में कार्य करता है। एक आई. एस. पी. जो एक ग्राहक को एक मानक घरेलू उपभोक्ता या एस. ओ. एच. ओ. इंटरनेट एक्सेस पैकेज प्रदान करता है, उसके पास इसकी कोई संभावित उम्मीद नहीं है।

सफलतापूर्वक तर्क दिया कि यह केवल एक 'माध्यम' है और इसलिए

उस कानून से मुक्त, क्योंकि सभी सामग्री केवल एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में 'वाया' तरीके से गुजरने के बजाय अपने स्वयं के नेटवर्क के भीतर से उत्पन्न होती है।

" (जे) इन परिस्थितियों में न केवल आई. एस. पी. निश्चित रूप से है स्रोत के बीच एकमात्र 'द्वारपाल' के रूप में कार्य करना

मानहानिकारक सामग्री और इंटरनेट, वे भी एक प्रदान करते हैं

अन्य सेवाओं का बंडल। जिनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से गलत है।

इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य निर्देश के अन्य प्रावधान

2002 उदाहरण के लिए, जो केवल न्यूनतम स्तर की अनुमति देता है

अंतर्निहित प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक कैशिंग कार्य करने के लिए संदेश संचरण "।

ऐसा प्रतीत होता है कि "द्वारपाल" की धारणा स्वयं दावेदार से ली गई है; यह नियमों में कहीं नहीं पाया जाता है। XXX

XXX

XXX

77. अंत में, मैं काफी संतुष्ट हूं कि इन आवेदकों के खिलाफ दावों को सीपीआर पं. 3 के अनुसार खारिज किया जाना चाहिए, और वास्तव में सफलता की कोई यथार्थवादी संभावना नहीं होगी। कार्रवाई के किसी भी कारण पर। इस प्रकार सी. पी. आर. पं. के तहत मानदंड 24 यह भी पूरा होगा।

125. इस मोड़ पर, सीपीआर 3.4 (2) का उल्लेख करना भी आवश्यक हैः

" मामले के बयान को रद्द करने की शक्ति

3.4 . (2) अदालत (जी. एल.) मामले के बयान को खारिज कर सकती है यदि वह अदालत में पेश होता है।

(ए) कि मामले का बयान कोई उचित खुलासा नहीं करता है

दावा लाने या उसका बचाव करने के लिए आधार;

(ख) कि मामले का बयान अदालत के आदेश का दुरुपयोग है।

प्रक्रिया या अन्यथा न्यायसंगत निपटान में बाधा डालने की संभावना है

कार्यवाही का; या [2019] 17 एस. सी. आर.

(ग) कि किसी नियम का पालन करने में विफलता हुई है,

निर्देश या अदालती आदेश का अभ्यास करें। "

126. रिचर्डसन (ऊपर) में, 02.11.2015 पर निर्णय लिया गया, दावेदार

फेसबुक प्रोफाइल पर प्रकाशन और गूगल ब्लॉगर सेवा पर एक ब्लॉग पोस्ट के संबंध में हर्जाना मांगा। प्रोफाइल और ब्लॉग पोस्ट कथित तौर पर उस दावेदार द्वारा बनाए गए थे, लेकिन दावेदार ने शिकायत की कि वे एक धोखेबाज़ द्वारा बनाए गए नकली थे। उन्होंने दावा किया कि दोनों मानहानिकारक थे और मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 8 के तहत उनके निजी जीवन के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करते थे। फेसबुक यू. के. के खिलाफ उस प्रोफ़ाइल के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई जिसे उन्होंने फेसबुक कार्रवाई के रूप में वर्णित किया था और गूगल यू. के. लिमिटेड के खिलाफ ब्लॉग पोस्ट के संबंध में, जिसे गूगल कार्रवाई के रूप में दिखाया गया था। कार्रवाई को खारिज कर दिया गया। मुख्य आधार यह था कि मुकदमा उस कंपनी के खिलाफ था जो प्रकाशन के लिए जिम्मेदार नहीं थी, जिसका अर्थ था कि उसने गलत प्रतिवादी के खिलाफ मामला चलाया था। अपील में, उन्होंने यूरोपीय संघ के न्यायालय को भेजे जाने वाले कुछ मुद्दों का हवाला दिया। न्यायालय ने बंट (ऊपर), गॉडफ्रे (ऊपर) और बायर्न (ऊपर) का उल्लेख किया। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 32. बायर्न बनाम डीन में निर्णय का अंतर्निहित तर्क,

कि प्रतिवादी प्रकाशन के लिए जिम्मेदार थे, क्या यह था कि

वे नोटिस बोर्ड के नियंत्रण में थे और उनके पास करने की शक्ति थी ऐसा कार्य करें ताकि किसी तीसरे पक्ष द्वारा पोस्टिंग को हटाया जा सके जो था

अनधिकृत और गलत; उस शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहने से पोस्टिंग का ज्ञान जो वे इसके निरंतर रहने के लिए उत्तरदायी हो गए

प्रकाशन। यह तर्क स्पष्ट रूप से कुछ लोगों पर लागू करने में सक्षम है।

इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान में शामिल लोगों और सामाजिक

मीडिया प्लेटफॉर्म। ”

(जोर दिया गया)

127. इसके बाद, अदालत ने नोटिस दिया कि मानहानि

अधिनियम, 1996, उन लोगों के लिए एक बचाव प्रदान करके सामान्य कानून सिद्धांतों की कठोरता को कम करता है जो उन सिद्धांतों को लागू करके थे

सामान्य कानून के प्रकाशक। अदालत ने आगे कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाता और अन्य प्रकाशन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं चर्चा किए गए सामान्य कानून के सिद्धांतों के अनुसार, अर्थात, जो सामान्य कानून के प्रकाशक नहीं थे, उन्हें मानहानि अधिनियम के तहत सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अदालत ने मानहानि अधिनियम, 2013 का उल्लेख किया जो 01.01.2014 पर लागू हुआ। इसके अलावा, अदालत ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

" 39. अभिवचन अपने चेहरे पर स्वीकार करता है कि फेसबुक इंक फेसबुक सेवा और संबद्ध वेबसाइट का "मालिक" है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेवा के संदर्भ में इस कथन को अपनाया गया है कि

फेसबुक आयरलैंड लिमिटेड, सेवा की शर्तों के अनुसार, अमेरिका और कनाडा के बाहर डेटा को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। तो। जहाँ तक एफ. बी. यू. के. का संबंध है, एक आरोप है कि उसे आपत्तिजनक पोस्टिंग के बारे में सूचित किया गया था। हालांकि, पूरी तरह से निवेदन

याचिका में पहले क्या आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि "फेसबुक सेवा" और "फेसबुक" को अधिसूचना दी गई है। यह तथ्यात्मक रूप से भी असमर्थनीय प्रतीत होता है। लेकिन भले ही यह सच था, यह एक आरोप के अभाव में कि एफ. बी. यू. के. के पास सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति या क्षमता थी, बायर्न के आधार पर प्रकाशन के लिए जिम्मेदारी के श्रेय के लिए एक उचित आधार नहीं बना सकता था। वी डीन सिद्धांत "।

यूनाइटेड किंगडम में। अंग्रेजी अदालतों के फैसलों का भी संदर्भ था जिसमें पहले यह पाया गया था कि फेसबुक यू. के. लिमिटेड फेसबुक सेवाओं को नियंत्रित या संचालित नहीं करता है। 130. अदालत ने यह विचार व्यक्त किया कि फेसबुक यू. के. लिमिटेड ने इसे आश्वस्त किया कि यदि कोई मुकदमा चलाया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेगा कि वह जिम्मेदार नहीं था। दावेदार द्वारा [2019] 17 एस. सी. आर. को एक प्रयास किया गया था।

गूगल स्पेन एस. एल. (ऊपर) निर्णय से समर्थन प्राप्त करें। तर्क यह प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय के आधार पर, फेसबुक

इंक. और इसकी सहायक कंपनियों को एक एकल आर्थिक इकाई के रूप में माना जाना था और फेसबुक यू. के. लिमिटेड को भी इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

प्रोफाइल का प्रकाशन। अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। इनमें से एक

131. एक ओर, अपीलार्थी ने रिचर्डसन (ऊपर) से समर्थन लेने की मांग की, जबकि दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने कहा गूगल स्पेन एस. एल. (ऊपर) द्वारा स्टोर। हमने उस संदर्भ पर ध्यान दिया है जिसमें

सवाल उठ रहे थे। जहाँ तक अंग्रेज़ी निर्णय का संबंध है, यह एक नागरिक कार्रवाई थी। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सामग्री जिसने अनुमति दी

फेसबुक यू. के. लिमिटेड और गूगल यू. के. द्वारा आवेदन स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक कानूनों के संदर्भ में था, शायद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के समान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादियों के आवेदन पर दावों को खारिज करने में भी अदालत के समक्ष सामग्री थी। 132. हम, इस मामले में, Cr.PC की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे से चिंतित हैं। हम यह भी देखते हैं कि निर्णय

ऐसा प्रतीत होता है कि गूगल स्पेन एस. एल. (उपरि) ने निर्देश के दायरे को चालू कर दिया है जैसा कि रिचर्डसन (उपरि) में देखा गया है।

अधिनियम की धारा 79 के अधीनता का प्रभाव

133. अधिनियम की धारा 79 को 27.10.2009 से प्रतिस्थापित किया गया। वास्तव में, एक प्रावधान के प्रतिस्थापन का प्रभाव गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v है।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

राजस्थान राज्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया। गीलाल पिंडवाल 3 1:

" 10. इसी तरह क्रॉफर्ड के कानूनों की व्याख्या में यह कहा गया है

उन्होंने कहाः

" निरसन का प्रभाव, आम तौर पर। सबसे पहले, एक स्पष्ट निरसन भविष्य में निरस्त अधिनियम की प्रभावशीलता को नष्ट कर देगा और एक सामान्य नियम के रूप में उस पर निर्भर अवैध अधिकारों को नष्ट करने के लिए काम करेगा। हालाँकि, कई मामलों में, जहाँ क़ानून निरस्त किए जाते हैं, वे उस अवधि के कानून बने रहते हैं जिसके दौरान वे कई मामलों के संदर्भ में लागू थे। (पीपी। 640-641) 11. लॉर्ड टेंटरडेन और टिंडल, सी. जे. की टिप्पणियों से यह भी संकेत मिलता है कि किसी क़ानून को निरस्त करने का सिद्धांत इस अपवाद के अधीन है कि यह पिछले और बंद लेनदेन के संबंध में मौजूद है। इसी प्रभाव के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून है। (देखिएः कुद्रत उल्ला बनाम। नगरपालिका बोर्ड [(1974) 1 एस. सी. सी.

202 : (1974) 2 एस. सी. आर. 530], एस. सी. आर. पी. 539)

12. इसका अर्थ यह है कि किसी कानून के निरसन के परिणामस्वरूप निरस्त कानून इस तरह के निरसन की तारीख से प्रभावी रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है, लेकिन निरसन के पिछले संचालन को प्रभावित नहीं करता है।

वह कानून जिसे उस अवधि के दौरान निरस्त कर दिया गया है

इस तरह के निरसन की तारीख से पहले कार्यात्मक। ..... '

134. इस मामले में, शिकायत स्वयं दिनांकित 21.01.2009 है। शिकायतकर्ता के उप प्रबंधक (कानूनी) का बयान है -

27.02.2009 पर कटौती करें। शपथ पत्र इस प्रकार हैः

" मैं यहाँ शिकायतकर्ता हूँ। मैं उप प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूँ

शिकायतकर्ता कंपनी में कानूनी। शिकायतकर्ता कंपनी

एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स का निर्माण करता है और इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं।

बान एस्बेस्टस इंडिया के समन्वयक, अभियुक्त संख्या 2 द्वारा आयोजित एक समूह और 21 नवंबर, 2008 को समूह में विभिन्न मुद्दों के बारे में लेख प्रकाशित करता है। तंत्र को विषाक्त बनानाः हिन्दुस्तान टाइम्स। शिकायतकर्ता था

यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लेख शिकायतकर्ता कंपनी के लिए है और देश के प्रसिद्ध राजनेताओं यानी श्री जी.

6) 5 एस. सी. सी. 60/ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2181 [2019] 17 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेंकट स्वामी और श्रीमती. सोनिया गांधी कहाँ हैं ये लोग

शिकायतकर्ता कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है और फिर से

31 जुलाई, 2008 में एक लेख का शीर्षक ए 2 समूह को विसाका लिखा गया था। एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज लाभ कमा रहा है दोनों वस्तुओं में शामिल हैं

शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानिकारक बयान जो उपलब्ध हैं

कामकाजी लोग। शिकायतकर्ता विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि अन्य हैं एवरेस्ट समूह, रामको समूह और बिड़ला समूह जैसे समूह जो

वे भी उसी समूह में लगे हुए हैं। लेकिन आरोपी नंबर 1

शिकायतकर्ता और राजनेताओं को अनावश्यक रूप से घसीटा गया

दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला देश। शिकायतकर्ता आगे प्रस्तुत करता है

कि ए 1 शिकायतकर्ता की छवि को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है

उपरोक्त के माध्यम से शिकायतकर्ता के खिलाफ घृणा अभियान ने कहा

लेख। इस लेख को देखने के बाद शिकायतकर्ता ने नोटिस भेजा है। दिनांकित 10.12.2008 पंजीकृत डाक के माध्यम से जिसे अल ने वापस कर दिया

उपयोग नहीं किया गया और दोनों अभियुक्तों को फैक्स प्राप्त हो गया। द.

उपरोक्त लेख ने शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अल शिकायतकर्ता ने ऐसे लेख प्रकाशित किए हैं। मैं आगे कहता हूँ कि

अभियुक्त के कृत्यों और कार्यों का उल्लंघन किया जा रहा है

मौलिक अधिकार और अभियुक्त की ओर से कार्रवाई

इस तरह के मानहानिकारक बयान देने में पूर्व नियोजित हैं और

छवि को कम करने का इरादा की नज़रों में मानहानि का कारण बनता है

जनता अच्छी तरह से जानती है कि वहाँ दिए गए बयान हैं

अभियुक्त द्वारा एक छिपे हुए एजेंडे के साथ। इसलिए यह भुगतान किया जाता है माननीय न्यायालय अभियुक्त को कानून के अनुसार दंडित करे। ... ." "

"

135. यह देखा गया है कि मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है

लैंट ने अनुलग्नक पी5 के माध्यम से उसे न्यायालय 9.09.2009 के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा। यदि ऐसा है, तो न केवल उस समय शिकायत दर्ज की गई थी जब धारा 79, अपने पूर्व अवतार में, एन. टी. प्रावधान लागू होने से पहले लागू थी, इसके तहत संज्ञान भी लिया गया था।

यदि ऐसा है, तो दायित्व से छूट का सवाल इस प्रकार हो सकता है

अधिनियम की धारा 79 के तहत एड जैसा कि यह खड़ा था और इसके तहत नहीं

प्रावधान का उल्लेख किया।

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v.

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

एक भी आवेदन उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह केवल एक सहायक है

136. जहाँ तक इस सवाल का सवाल है कि क्या गूगल एल. एल. सी. की सहायक कंपनी होने के नाते, अपीलकर्ता एक स्वतंत्र निकाय है जिस पर विचार नहीं किया जाना है।

दायित्व के साथ, हम सोचेंगे कि यह Cr.PC की धारा 482 में जाने का मामला नहीं है।

भारत के साथ-साथ शिकायतकर्ता का भी। उच्च न्यायालय की शिकायतकर्ता की सूचना और शिकायतकर्ता की नियुक्ति

137. विवादित निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने उन नोटिसों को संदर्भित करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो शिकायत के अनुसार जारी किए गए थे, जिसमें अपीलार्थी से आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने का आह्वान किया गया था। यह पाया गया है कि अपीलार्थी ने गैरकानूनी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए अपनी छोटी उंगली नहीं हिलाई। इसलिए, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है, जैसा कि यह मूल रूप से था, या अधिनियम की धारा 79 के तहत, संशोधन के बाद जो 27.10.2009 से प्रभावी हुआ। यह आगे पाया गया कि धारा 79 (3) के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, छूट किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं की जा सकती है और एक अदालत द्वारा दावा किया गया है। यदि कोई मध्यस्थ उसके संबंध में किसी साजिश में शामिल होता है तो मध्यस्थ। इस संबंध में हम देख सकते हैं कि शिकायतकर्ता के लिए एक निश्चित मामला है कि अपीलार्थी और प्रथम अभियुक्त के बीच एक साजिश थी क्योंकि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त ने एक-दूसरे की मिलीभगत से दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानकारी का प्रसार किया है। आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 500,501 के अलावा आई. पी. सी. की धारा 120 बी का भी संदर्भ है। जहाँ तक आक्षेपित आदेश में व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है कि

अपीलार्थी अधिनियम की धारा 79 के तहत किसी भी छूट का दावा नहीं कर सकता है।

संशोधन के संबंध में, हमारा विचार है कि यह श्रेया सिंघल मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप प्रतीत होता है।

(ऊपर)। धारा 79, जैसा कि प्रतिस्थापित किया गया है, का अर्थ यह है कि यदि मध्यस्थ को किसी पोस्ट को हटाने के लिए नोटिस दिया जाता है तो यह पर्याप्त नहीं है। जो आवेदक हटाने की मांग करता है, उसे अदालत के आदेश से लैस होना चाहिए। इस मामले में, शिकायतकर्ता के लिए कोई मामला नहीं है कि जब आपत्तिजनक पद को हटाने की मांग की गई थी, तो किसी सक्षम अदालत का कोई निर्णय था या पद को हटाने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई निर्देश था। इसलिए, श्रेया सिंघल (उपरोक्त) के आलोक में, इस संबंध में स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय का निष्कर्ष अस्थिर प्रतीत होता है और हम ऐसा मानते हैं।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

138. उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि मामले में, शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद, इसे उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया जाए

अपीलार्थी के माध्यम से प्रथम अभियुक्त की ओर से मानहानिकारक मामले के प्रसार के बारे में अपीलार्थी, अपीलार्थी ने प्रसार को रोकने के लिए उक्त सामग्री को अवरुद्ध करने के लिए अपनी छोटी उंगली नहीं उठाई और इसलिए, अधिनियम की धारा 79 के तहत छूट का दावा नहीं कर सकता है, जैसा कि यह मूल रूप से था, दो खामियों से पीड़ित है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया है कि धारा 79, जैसा कि इसे मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, का अधिनियम के अलावा अन्य कानूनों के अपराधों से कोई लेना-देना नहीं था। हमने यह भी पाया है कि धारा 79, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अन्य कानूनों के प्रभाव से संबंधित नहीं थी। संक्षेप में, चूंकि मानहानि आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत एक अपराध है, इसलिए धारा 79, जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले थी, का अपीलार्थी को उक्त प्रावधान के तहत दायित्व से मुक्त करने से कोई लेना-देना नहीं था। दूसरा, अपीलार्थी के लिए एक मामला है कि नोटिस प्राप्त होने पर, अपीलार्थी ने एक संकेत के रूप में अपनी शिकायत अपनी मूल कंपनी गूगल एल. एल. सी. को भेज दी, जिसने अपने दिनांकित पत्र द्वारा विवरण मांगा।

जिस तरह से किया गया था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अवरोधन और निष्कासन के बीच के अंतर को ध्यान में नहीं रखा है। 139. यहां तक कि धारा 79, जैसा कि 27.10.2009 से प्रतिस्थापित किया गया है, उस मामले में छूट के लाभ से इनकार करती है जहां कोई साजिश है।

गैरकानूनी कार्य करने में मध्यस्थ या उकसाने या सहायता करने या प्रेरित करने या अन्यथा के बीच। पुनः, हम देखते हैं कि शिकायत में मामला यह है कि अभियुक्त के बीच मिलीभगत थी। यह ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। Cr.PC की धारा 482 के तहत।

140. हम यह भी देख सकते हैं कि दीवानी मुकदमे में भी, शिकायतकर्ता का कहना है कि अपीलकर्ता सेवा प्रदाता है और उसने इसका दुरुपयोग किया है

उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (शिकायत का अनुच्छेद 11 देखें)। अपीलार्थी, निस्संदेह, दूसरा प्रतिवादी है जबकि गूगल इंक. को भी तीसरे प्रतिवादी के रूप में एक पक्ष बनाया गया है। हम यह कहते हैं क्योंकि अपीलार्थी के पास एक मामला है कि दीवानी मुकदमे में, शिकायतकर्ता ने एक मामला स्थापित किया है कि यह गूगल एल. एल. सी. है जो वास्तविक सेवा प्रदाता थी।

प्रकाशन

141. यदि मानहानिकारक विषय प्रकाशित किया जाता है कि इसे किसने प्रकाशित किया, तो यह तथ्य का प्रश्न है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, प्रकाशन में लाना शामिल है

गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के ज्ञान के लिए मानहानिकारक मामला।

जिसे बदनाम किया जाता है। हम बायर्न (ऊपर) में ग्रीन एल. जे. द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे कि "कुछ परिस्थितियों में, एक व्यक्ति मानहानिकारक मामले को हटाने या मिटाने से परहेज करके, कोई भी प्रकाशन नहीं कर रहा है। हो सकता है कि अन्य परिस्थितियों में वह ऐसा कर रहा हो। परीक्षण, मुझे ऐसा लगता है: मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह उचित निष्कर्ष है कि

मानहानिकारक मामला, प्रतिवादी ने वास्तव में उस स्थान पर अपनी निरंतर उपस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया जहां इसे रखा गया है? क्या कोई प्रकाशन है, वास्तव में इस प्रश्न को पूछना भी शामिल है जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा नोट किया गया है, कि क्या ऐसे किसी मामले को हटाने की शक्ति और अधिकार था। यदि इस तरह की शक्ति के बावजूद, और मामले को हटाने की क्षमता के बावजूद, यदि व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह प्रकाशन के बराबर होगा। उक्त सिद्धांत, हमारे विचार में, यह निर्धारित करने के लिए भी अच्छा होगा कि क्या आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत प्रकाशन है। आगे की आवश्यकता, इसमें कोई संदेह नहीं है, अपरिहार्य है, यानी, इसमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से या ज्ञान के साथ या होने के इरादे से आरोप शामिल होने चाहिए।

यह मानने के कारण कि यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा चिंतित हैं।

142. इस मामले में, शिकायतकर्ता की पर्याप्त शिकायत अपीलार्थी द्वारा सूचित किए जाने के बाद मामले को हटाने से इनकार करने पर आधारित प्रतीत होती है। मध्यस्थ द्वारा इंटरनेट जैसे माध्यम के संदर्भ में भी प्रकाशन परिणाम होगा यदि वह अदालत के आदेश की अवहेलना करता है और मामले को हटाने से इनकार करता है। यह, निस्संदेह, श्रेया सिंघल (उपरोक्त) में निर्णय के तहत भी स्थिति है, जिसने धारा 79 (3) (बी) को पढ़ा है और मध्यस्थ नियम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

143. इस संबंध में, हम निम्नलिखित कथन को नोटिस कर सकते हैं

शिकायतः -

" शिकायतकर्ता सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि शिकायतकर्ता द्वारा इस तरह के लेखों को वापस लेने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था यह 09/12/2008 पर परामर्श देता है, अभियुक्त संख्या 1 और 2 से उपरोक्त लेखों को वापस लेने और बिना शर्त माफी मांगने और रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध करता है। 20.00 करोड़। (शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए केवल बीस करोड़ रुपये) शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से

नोटिस की प्राप्ति। उक्त सूचना में शिकायतकर्ता ने अभियुक्त संख्या 1 को शिकायतकर्ता के संयंत्रों का दौरा करने के लिए भी आमंत्रित किया और अनुरोध किया कि जिस तरह से उत्पाद तैयार किए गए हैं, उनका निरीक्षण किया जाए।

निर्मित और फिर तथ्यों और [2019] 17 एस. सी. आर. के आधार पर एक निष्कर्ष पर आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विज्ञान, नोटिस की कार्यालय प्रति इस माननीय न्यायालय के दयालु अवलोकन के लिए इसके साथ दायर की गई है। नोटिस पंजीकृत के तहत भेजा गया था

10/12/2008 पर पावती देय (आर. पी. ए.) के साथ पोस्ट करें,

इस प्रकार के अवलोकन के लिए R.P.A.D की रसीद इसके साथ दाखिल की जाती है।

माननीय न्यायालय। शिकायतकर्ता सबसे विनम्रता और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि

उक्त नोटिस में अभियुक्तों को याद दिलाया गया कि उनके कृत्य

धारा 1208,500 के तहत दंडनीय अपराध के बराबर

& 501 भारतीय दंड संहिता। R.P.A.D. को भेजा गया नोटिस

अभियुक्त नं. 1 बिना किसी सेवा के लौटा दिया गया क्योंकि अभियुक्त "बिना पते के छोड़ दिया गया" के रूप में उसे वापस करने में कामयाब रहा और इसे इस माननीय न्यायालय के प्रकार के अवलोकन के लिए इसके साथ दायर किया गया है। ए के रूप में

एहतियात के तौर पर शिकायतकर्ता ने 29.12.2008 पर उक्त नोटिस को फैक्स किया

दिल्ली में अभियुक्त सं. 1 के कार्यालय में, इस माननीय न्यायालय के दयालु अवलोकन के लिए फैक्स की रसीद दाखिल की जाती है और 17.12.2008 पर शिकायतकर्ता ने बैंगलोर में अभियुक्त सं. 2 के कार्यालय को उक्त नोटिस फैक्स किया, इस माननीय न्यायालय के दयालु अवलोकन के लिए फैक्स की रसीद इसके साथ दायर की जाती है। अभियुक्त संख्या 2 के बैंगलोर कार्यालय को भेजी गई सूचना विधिवत दी गई थी और इस प्रकार के अवलोकन के लिए उसी के प्रमाण के रूप में पावती कार्ड दाखिल किया गया है। इस माननीय न्यायालय का "।

एक क्लब, जैसा कि बायर्न (उपरोक्त) में था, सख्ती से उपलब्ध नहीं है जब हमें इसे इंटरनेट जैसे माध्यम के मामले में लागू करने के लिए कहा जाता है। 145. जैसा कि बंट (ऊपर) में उल्लेख किया गया था, गॉडफ्रे (ऊपर) में, पद को मिटाने का अनुरोध करने वाले पत्र की प्राप्ति विवाद में नहीं थी और

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पद को मिटा सकता था, फिर से गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v नहीं था।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

विवाद में। यह तय करने के लिए कि क्या कोई प्रकाशन है, हम अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा किए गए कानून की व्याख्या में योग्यता देखते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है। 146. हमने देखा है कि आई. पी. सी. की धारा 499 में जिसे अपराध घोषित किया गया है, वह ऐसा मामला बनाना या प्रकाशित करना है जो बदनाम करता है।

जैसा कि खंड में वर्णित है। उस अधिनियम को अपराध घोषित करने के लिए धारा में उल्लिखित इरादे या ज्ञान के साथ निर्माण या प्रकाशन भी होना चाहिए।

147. एक नोटिस था, जो स्वीकार किया गया था

अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता, दिनांक 09.12.2008, अपीलार्थी से, अन्य बातों के साथ, विवादास्पद पोस्ट को हटाने का आह्वान करता है (Cr.PC की धारा 482 के तहत याचिका का पैराग्राफ 9 देखें)। यह अपीलार्थी का मामला है कि चूंकि उसने सेवाओं को नियंत्रित नहीं किया था और चूंकि नोटिस में इसकी गतिविधियों का संबंध नहीं था, इसलिए अपीलार्थी ने अपनी प्रतिक्रिया के लिए अपनी मूल कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आगे तर्क दिया कि मूल कंपनी ने बदले में शिकायतकर्ता को जवाब दिया

06.01.2009 पर। चूंकि, शिकायतकर्ता द्वारा जारी किए गए नोटिस में उस स्थान और सेवाओं को नहीं दर्शाया गया था जो कथित रूप से मानहानिकारक वस्तुओं को होस्ट करते हैं, इसलिए शिकायतकर्ता को सटीक विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था।

148. हालाँकि, यह फिर से अपीलार्थी का मामला है कि शिकायतकर्ता 21.01.2009 पर शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा। हम अपीलार्थी के मामले को वैसा ही लेंगे जैसा कि प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद, हम Cr.PC की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में इसका परीक्षण करेंगे।

क्या यह एक ऐसा मामला है जिस पर धारा 482 के तहत विचार किया जा सकता है। विस्तार से बताने के लिए, हम मानते हैं:

जैसा कि हमने देखा है, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी का तर्क शिकायतकर्ता द्वारा अपीलार्थी को भेजे गए नोटिस के आधार पर कार्य करता प्रतीत होता है, अपीलार्थी इंटरनेट से आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसा करने का कारण यह है कि अपीलार्थी के अनुसार, अपीलार्थी मध्यस्थ नहीं है और मध्यस्थ मूल कंपनी है और तदनुसार, उसने 09.12.2008 दिनांकित नोटिस में शिकायतकर्ता की शिकायत को अपनी मूल कंपनी को भेज दिया। इस न्यायालय के लिए यह पता लगाना संभव नहीं हो सकता है कि उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही नहीं करने में गलत था कि अपीलार्थी मध्यस्थ नहीं है। इस मामले में अपीलार्थी द्वारा स्थापित बचाव ऐसा मामला नहीं है जिस पर धारा के तहत कार्यवाही की जा सके।

482 का Cr.PC. जैसा कि चीजें खड़ी हैं, दूसरे शब्दों में, इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा 09.12.2008 पर अपीलार्थी को भेजे गए नोटिस में अपीलार्थी ने [2019] 17 एस. सी. आर. पर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था या उसका पालन नहीं किया था।

शिकायतकर्ता का हिस्सा। इस बारे में कि क्या अपीलार्थी अनुरोध का पालन न करने में न्यायोचित था, इस प्रश्न का उत्तर देना शामिल है कि क्या अपीलार्थी मध्यस्थ था, जो बदले में, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में अनुज्ञेय नहीं हो सकता है। इसलिए, यह एक ऐसा पहलू नहीं है जो Cr.PC की धारा 482 में हस्तक्षेप करने वाले न्यायालय के लिए आधार बन सकता है।

149. क्या मूल कंपनी के लिए कोई औचित्य है

शिकायतकर्ता से यू. आर. एल. प्रदान करने की अपेक्षा करना ताकि उल्लंघन करने वाली पोस्ट की पहचान की जा सके और उससे निपटा जा सके और इसका खंडन किया जा सके कि क्या यह पोस्ट को हटा सकता है, यह फिर से एक मामला है, जो हमारे विचार में, अपीलार्थी के लिए हमें आयोजित करने के लिए राजी करना संभव नहीं हो सकता है, जिसे Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में लिया जा सकता है। यह भी इस आधार पर है कि मूल कंपनी मध्यस्थ है। मामलों को और भी स्पष्ट करने के लिए, यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ना कि पहला आरोपी है

कथित रूप से मानहानिकारक मामले का प्रवर्तक, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है, और पहला अभियुक्त न केवल लेखक है, बल्कि कथित रूप से मानहानिकारक मामले का प्रकाशक भी है, और फिर से इस आधार पर आगे बढ़ रहा है कि यह अपीलकर्ता है, जो मध्यस्थ है और इसकी मूल कंपनी नहीं है, अपीलार्थी की ओर से पद को हटाने से इनकार करना, ब्रायन (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर प्रकाशन के बराबर हो सकता है और जैसा कि गॉडफ्रे (ऊपर) में इंटरनेट के माध्यम पर लागू किया गया है, जैसा कि बाद में बंट (ऊपर) में समझाया गया है। दूसरे शब्दों में, आई. पी. सी. की धारा 499 के अर्थ के भीतर प्रकाशन हो सकता है, यहां तक कि एक इंटरनेट ऑपरेटर के मामले में भी, यदि किसी मामले को हटाने की शक्ति और अधिकार और क्षमता है, तो ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर, ऐसा करने से इनकार किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह श्रेया सिंघल के अधीन है।

(ऊपर) जहाँ यह लागू होता है। यह भी स्पष्ट है कि अपराध का गठन करना

आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत, केवल प्रकाशन पर्याप्त नहीं होगा। जैसा कि हमने नोट किया है, हम बाधाओं के कारण शिकायतकर्ता द्वारा 09.12.2008 पर भेजे गए नोटिस के आधार पर उस पहलू में नहीं जा सकते हैं।

जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में, पद को हटाने के दायित्व का अस्वीकार करना अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थ होने से इनकार करने के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या यू. आर. एल. की मांग और न हटाने के लिए औचित्य, अनिवार्य रूप से तथ्यों से संबंधित प्रश्न होने के आधार पर, धारा 482 की कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है।

150. एकमात्र पहलू, जो वास्तव में बना हुआ है, वह पहलू है कि यह स्वीकार करना भी कि अपीलार्थी एक मध्यस्थ है और उसके पास अपीलार्थी के गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v को हटाने के अनुरोध को स्वीकार करने की शक्ति थी।

एम/एस। विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

आपत्तिजनक सामग्री, अपीलार्थी का तथाकथित अधिकार या शक्ति वास्तव में एक शक्ति और अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल एक भ्रम है कि ऐसी शक्तियों को ग्रहण करना या इस तरह के अधिकार का प्रयोग करना शामिल होगा

शासन के विपरीत एकतरफा और अस्वीकार्य न्यायिक शक्ति

स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार जो एक खुले लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में इंटरनेट की निरंतर प्रभावशीलता के लिए अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में, इस धारणा के आधार पर कार्यवाही कि अपीलार्थी है

मध्यस्थ और यह कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांकित 09.12.2008 पत्र द्वारा सतर्क किया गया था, अपीलार्थी ने आपत्तिजनक पोस्ट को नहीं हटाया है, हालांकि वह तकनीकी रूप से इसे हटा सकता है, इसलिए, यह प्रकाशन के बराबर है और यह प्रकाशन आई. पी. सी. की धारा 499 को आकर्षित करता है। हालाँकि, तर्क यह है कि Cr.PC की धारा 482 में भी, अदालत को अपीलार्थी के अधिकार और शक्ति को अर्हता प्राप्त होनी चाहिए, यहां तक कि यह मानते हुए कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मध्यस्थ है, क्योंकि यह उन सिद्धांतों का विरोध करेगा जो इंटरनेट सेवा प्रदाता के संबंध में विकसित किए गए हैं कि वह एकतरफा रूप से यह तय करने के लिए खुला नहीं है कि किस मामले को हटाया जाना चाहिए और यह इस तरह से कार्य कर सकता है कि अनुरोध के आधार पर केवल तभी हटाया जा सके जब अदालत का आदेश हो। कोई भी अन्य दृष्टिकोण इसे विचारों के मुक्त प्रवाह का गला घोंटने वाला तानाशाह बना देगा, जो कि इंटरनेट के बारे में है।

151. हालाँकि समस्या इस तरह से उत्पन्न होती है। यह अधिनियम की धारा 79 को चुनौती देने पर विचार करते हुए है, जब इसे 27.10.2009 से प्रतिस्थापित किया गया था और वर्ष 2011 में बनाए गए नियमों पर भी विचार किया गया था, और उसी के लिए एक चुनौती यह है कि श्रेया सिंघल (ऊपर) में, प्रावधानों को इस अर्थ में पढ़ा गया था कि अधिनियम की धारा 79 (3) (बी) और नियमों के नियम 3 (4) में, एक इंटरनेट सेवा ऑपरेटर को तीसरे पक्ष की जानकारी को हटाने की आवश्यकता होगी, न कि केवल ज्ञान पर। इसके जारी रहने पर आपत्ति की लेकिन इसके बाद एक निष्पक्ष निर्णय लिया गया है जैसा कि एक अदालत द्वारा किया गया था। समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले के तथ्यों में, आई. पी. सी. की धारा 499 के तहत कथित अपराध का गठन करने वाले कार्य तब नहीं किए गए थे जब धारा 79, इसके प्रतिस्थापन के बाद, लागू थी। ये नियम वर्ष 2011 में बनाए गए थे। ऐसी परिस्थितियों में, हमें जो करने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि जब धारा 79 को अलग-अलग शब्दों में लिखा गया था और Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में सिद्धांतों को तथ्यात्मक मैट्रिक्स में शामिल किया जाए। निस्संदेह, यह सच है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) और अनुच्छेद 19 (2) 2008 और 2009 में बहुत अधिक उपलब्ध थे।

धारा 79 अपने पूर्व अवतार में थी। दूसरे शब्दों में, क्या यह अपीलार्थी के लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं होगा कि उसे अदालत के आदेश के बिना किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में शामिल मानहानिकारक मामले को हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता है?

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

152. यह यहाँ है कि हम खुद को याद दिलाएंगे कि हमें इस मामले में आदेश की शुद्धता और वैधता तय करने के लिए कहा जाता है

उच्च न्यायालय ने Cr.PC की धारा 482 के तहत कार्यवाही में पारित किया। इस तरह से यह तर्क नहीं उठाया गया है। वास्तव में, हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही आधार पर, यह है -

तर्क दिया कि अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं है। वेबसाइट पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद, यह तर्क दिया जाता है कि मूल कंपनी के कर्मचारियों के पास भी अदालत के आदेश के बिना ब्लॉग पर पोस्ट की गई सामग्री को हटाने की क्षमता नहीं है। सक्षम क्षेत्राधिकार। यह उच्च न्यायालय के समक्ष आगे का मामला है कि

संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के तहत जो मूल कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करता है, अदालत के आदेश के बिना किसी भी कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने के लिए बाध्य या आवश्यक नहीं है। वहाँ

इस आधार पर कोई विवाद नहीं लिया गया था कि भले ही अपीलार्थी है

मध्यस्थ माना जाने वाला, शिकायतकर्ता द्वारा इसे हटाने के अनुरोध के बाद लेखों का जारी रहना, अपीलार्थी के हाथों से इस कारण से प्रकाशन नहीं होगा कि यह प्रकाशन का गठन नहीं करेगा क्योंकि भारत में कोई अदालती आदेश नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह भी सच था कि श्रेया सिंघल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय था

उच्च के विवादित फैसले के लगभग पाँच साल बाद प्रस्तुत किया गया

अदालत। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, श्रेया सिंघल (ऊपर) में जो कुछ भी निर्धारित किया गया था, वह धारा 79 (3) (बी) को चुनौती देने पर आधारित था, जिसने धारा 79 के पूर्ववर्ती अवतार को बदल दिया और मध्यस्थ को भी चुनौती दी।

2011 के नियम, जिनमें से दोनों प्रावधानों को पढ़ा गया अदालत।

153. अपीलकर्ता इस न्यायालय से जो करने के लिए कह रहा है, वह उस मुद्दे का निर्णय करना है जो उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं उठाया गया है। होने के नाते उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए सटीक आधार को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत के आदेश के बिना पद को हटाने में मूल कंपनी की असमर्थता से संबंधित है। तथापि, हम महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो अपीलार्थी द्वारा अपने पूर्ववर्ती अवतार में अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षण की अनुपलब्धता से स्वतंत्र हो सकता है। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम अपीलार्थी के लिए अदालत के समक्ष आग्रह करने के लिए खुला छोड़ते हैं।

154. अपीलार्थी द्वारा एक शिकायत है कि मजिस्ट्रेट के पास अपीलार्थी पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है और Cr.PC की धारा 203 के तहत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। हमने देखा कि यह तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। हमने आगे देखा कि अकेले इस आधार पर, इस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय में लंबित मामले के लगभग एक दशक के बाद, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v के साथ अन्याय होगा।

एस. विशाखा उद्योग [के. एम. जोसेफ, जे.]

मजिस्ट्रेट के पास वापस मामला, जिसे हमें वास्तव में नोट करना चाहिए,

अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ।

उपरोक्त चर्चा का परिणाम इस प्रकार हैः

1. हम अपीलार्थी के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि उच्च न्यायालय को गूगल एल. एल. सी. की शर्तों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और पाया कि अपीलार्थी मध्यस्थ नहीं है। हम.

मान लीजिए कि यह सुनवाई का विषय है।

2. हम मानते हैं कि अधिनियम की धारा 79, इसके पहले

प्रतिस्थापन, आई. पी. सी. की धारा 499/500 के तहत अपराध के संबंध में एक मध्यस्थ की रक्षा नहीं करता है।

3. हम हटाने के नोटिस का जवाब देने के लिए अपीलार्थी के कथित इनकार के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को दरकिनार करते हैं। तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह न्यायालय पर है कि वह अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर मामले का निर्णय करे और इसे ध्यान में रखते हुए,

इस निर्णय में निहित टिप्पणियाँ।

हम पक्षकारों की दलीलों को खुला छोड़ते हैं, सिवाय उन दलीलों के जो अंतिम रूप से घोषित किए गए हैं। उपरोक्त के अधीन,शिकायत के साथ आगे बढ़ेंगे। अपील का निपटारा कर दिया गया है।

अपील का निपटारा किया गया।